राजस्थान विधान सभा

१० वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–५ दिसम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–४५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६४

किशगढ़ में वर्तमान वर्ष में इन्टरमीजियेट व मेट्रिक ग्रेड अध्यापकों की रेगुलर केडर में नियुक्तियों के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ़ के मातहत इन्टरमीजियेट और मैट्रिक ग्रेड के किन किन अध्यापकों की नियुक्तियां रेगुलर केडर में की गई हैं ?

(ख) उक्त अध्यापकों की नियुक्तियां किस आधार पर किन किन अधिकारियों द्वारा की गईं ?

(ग) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ़ ने उक्त ग्रेड के लिए पुराने अध्यापकों को प्रोमोशन देने की सिफारिश की थी ?

(घ) यदि हां, तो पुराने अध्यापकों को प्रोमोशन न देकर इन्टर और मैट्रिक ग्रेड के नये अध्यापकों की नियुक्तियां क्यों की गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री)

(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) ये नियुक्तियां कमेटी के द्वारा इन्टरव्यू लेकर चुनाव के आधार पर शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा अस्थाई तौर पर की गई हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) जी हां। केवल इन्टर की योग्यता रखने वाले अध्यापकों की ही सिफारिश की थी।

(घ) इन मैट्रिक और इन्टर के नये अध्यापकों की नियुक्तियां अस्थाई रूप से की गई क्यों कि सारे जिले के ऐसे अध्यापकों की सीनियोरिटी सूची तैयार नहीं थी क्योंकि किशनगढ़ इन्सपेक्टरेट मई १९५५ में ही नई बनी थी। सूची तैयार होने पर पुराने अध्यापकों को उनकी योग्यता व सीनियोरिटी के अनुसार प्रोमोशन दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से ऐसा सर्क्युलर जारी किया जा चुका है कि नये अध्यापकों को मैट्रिक और इन्टर ग्रेड में न लिया जाकर पुराने अध्यापकों को प्रोमोशन दिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया कि जहां पर जिनकी नियुक्तियां की गई हैं वे कमेटी की शिफारिश के अनुसार की गई हैं, आगे भी जिनकी नियुक्तियां होंगी उनमें भी जो बातें मैंने कहीं उनका ध्यान रखा जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि सर्क्युलर जारी किया या नहीं ? क्या यह बात सही है कि इन अपोइन्टमेंट्स के काफी पहले, करीब तीन-चार माह पहले इस तरह का सर्क्युलर निकल चुका था कि मैट्रिक और इन्टर ग्रेड के नये अध्यापक न लिये जाकर पहले जो व्यक्ति सर्विस में मौजूद हैं उसी योग्यता वालों को प्रोमोशन दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में वह सर्क्युलर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार के सर्क्युलर जारी होने के बाद भी किशनगढ़ के इन्स्पेक्टर ने अपनी ओर से पुराने अध्यापकों को प्रोमोशन देने की सिफारिश की थी ?

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन अराइज़ ही नहीं होता, जब कि वे कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ऐसा सर्क्युलर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब किशनगढ़ के इन्स्पेक्टर ने अपनी ओर पुराने अध्यापकों को प्रोमोशन देने के बारे में सर्क्युलर के अन्तर्गत सिफारिश की है तो नये अध्यापकों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि इन्स्पेक्टर की सिफारिश के बावजूद भी जो कमेटी बिठाई गई थी उसने दूसरी सिफारिश की हो।

श्री चांदमल मेहता—जिस कमेटी द्वारा यह हुआ, जो यह बात कही गई है क्या उस कमेटी ने अपनी ओर से कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उनके सामने योग्यता के रेकॉर्ड होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो नये व्यक्ति नियुक्त किये गये, तो क्या उनके लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करना जरूरी नहीं था ? क्या उनके लिये निश्चित तारीख मुकर्रर करके आवेदन-पत्र आमन्त्रित करना था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिये कमेटी की नियुक्ति नहीं की थी। जो सूचना उनके पास उपलब्ध थी उसी सूचना के आधार पर निर्णय करने के लिये कमेटी की नियुक्ति की गई थी।

श्री चांदमल मेहता—तो उस कमेटी के सामने उन अध्यापकों का रेकॉर्ड नहीं था क्या, जो काफी अरसे से काम कर रहे थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जरूर था।

श्री चांदमल मेहता—जब रेकार्ड था तो फिर जिनकी १० साल की सर्विस थी, जो अभी तक मिडिल ग्रेड में पड़े हुए हैं उनको चान्स न दिया जा कर नये आदमियों को क्यों नियुक्त किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सिलेक्शन करने के अन्दर केवल लंग्थ ऑफ सर्विस ही का ध्यान नहीं रखा जाता, ओन मेरिट्स भी सिलेक्शन होते हैं। मैं नहीं जानता कि किस चीज में क्या हुआ; लेकिन जब कमेटी सेट अप कर दी तो वह इन सब बातों पर कन्सीडरेशन करके ही तय करती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उस कमेटी ने अपनी ओर से नियुक्तियां करते समय पुराने अध्यापकों के किसी भी मामले को कन्सीडर नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो कमेटी जान सकती है, मुझसे ज्यादा यह आप जान सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मुझे तो जानकारी है, लेकिन जो गड़बड़ी हुई उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रश्न किया गया है।

Page No.4

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात की जांच करने के लिये तैयार हैं कि कमेटी ने क्या कोई निश्चित नियम के अन्तर्गत इस प्रकार की नियुक्तियां की हैं या अपनी मर्जी से ही नियुक्तियां कर दी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह कमेटी जिम्मेदार आदमियों की थी उनके द्वारा सारी बातों की जांच की गई होगी, यही मानकर चलना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या ये व्यक्ति जिन्होंने सर्क्युलर के खिलाफ काम किया और नई नियुक्तियां कर दीं उनके खिलाफ यह कह कर कि ये तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जांच नहीं कराई जा सकती ? यह कहना उचित है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसमें सर्कुलर के खिलाफ करने की बात ही नहीं आती। हो सकता है उन्होंने सीनियोरिटी को ज्यादा वेट न देकर मेरिट को ज्यादा वेट दिया होगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सर्क्युलर निकला था। उसमें यह था कि मैट्रिक और इन्टर ग्रेड में नये आदमियों को नहीं लिया जाय; जो काफी अरसे से काम कर रहे हैं उनको प्रोमोशन दिया जायगा। इस प्रकारके सर्क्युलर के निकलने के बावजूद भी ये जो नियुक्तियां की गईं, जो बिलकुल नये आदमियों की थीं उसके लिये भी यह कहा जाना कि जांच करना आवश्यक नहीं; अतः मेरा निवेदन है कि सर्क्युलर की खिलाफ वर्जी की गई इसलिये जांच होना आवश्यक है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसके पहले एक क्राइटेरिया रखते हैं; उसके अन्तर्गत पुराने व्यक्ति और बाद में लिये जाने वाले व्यक्ति सीनियोरिटी के हिसाब से तय कर लेते हैं। जब यह सब हो जाता है तब कमेटी बनाई जाती है। उसका स्कोप वाइड होता है, वह सब बातों पर विचार करके निर्णय करती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा इसमें जो प्रश्न है वह यह कि मोरली जो आदमी इस हुक्म से इफेक्टेड हुए उन्होंने क्या इसके विरुद्ध अपील की है क्या उससे यह साफ हो जायगा कि उनको ग्रीवान्सेज हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे तो अपील का पता नहीं, माननीय प्रश्नकर्ता को पता होगा।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे किशनगढ़ सब डिवीजन के पचासों आदमियों को मैं जानता हूँ, जिनका हक इस प्रकार तोड़ा गया।

कुं श्री जसवन्त सिंह—दुख तो उनको ज्यादा होगा जो इस हुक्म से इफेक्टेड हुए और अगर वे हुए हैं तो उन्होंने सरकार के सामने अपने ग्रीवान्सेज़ रखे होंगे; अगर नहीं रखे हैं तो यह मान लिया जाना चाहिये कि उनको सन्तोष है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बहुत से प्रश्नों का पता यहां चलता है माननीय सदस्य की कृपा से।

प्रश्न संख्या ८१

किशनगढ़ सब डिवीजन में कुछ सब्सिटट्युटेड अध्यापकों को गर्मियों की छुट्टियों में वेतन इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में ऐसे कौन कौन सब्स्टीट्यूट अध्यापक हैं जिन्हें गत-र्मियों की छुट्टियों की तनख्वाह दिलाई गई है ?

(ख) उक्त अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह दिलाने के आदेश किन किन अधिकारियों द्वारा किस आधार पर दिये यये हैं ?

(ग) ऐसे कौन कौन सब्स्टीट्यूट अध्यापक है जिन्हें इस वर्ष परमानेन्ट पोस्ट पर नियुक्त किया गया है और उन्हें किस किस ग्रेड में रखा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) एक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति हुई जिस का नाम दुर्विजयसिंह है, महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ में, ५०. ४. ७० के वेतन दर में

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि दुर्विजयसिंह की स्थायी नियुक्त होने से पहले वे सब्स्टीट्यूट थे और उनको छुट्टियों की तनख्वाह दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वे अस्थायी थे, यह बात सही है

श्री चांदमल मेहता—जब वे अस्थायी थे तो उनको छुट्टियों की तनख्वाह दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तनख्वाह इसलिये दी जाती है कि वे परमानेन्ट वेकेन्सी के अगेन्स्ट सब्स्टीट्यूट थे; इसलिये उनको कन्टीन्यू किया गया, अतः तनख्वाह दी गई।

श्री चांदमल मेहता—जिस दिन तक सब्स्टीट्यूट थे उस कार्यकाल में उनको छुट्टियों की तनख्वाह दीलाई गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सब्स्टीट्यूट थे। वेकेशन्स के पहले से बाद में वेकेशन्स के समाप्त होते ही उनको परमानेन्ट अपोइन्ट किया गया। परमानेन्ट वेकेन्सी थी इसलिये वेकेशन्स की तनख्वाह दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति के साथ में जो पहले अध्यापक थे उनको सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हो सकता है, बहुत से सब्स्टीट्यूट भी रखे जा सकते हैं और उनको हटाया भी जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—हो सकता है, यह बात नहीं। क्लिअर वेकेन्सीज़ पर उनको अपोइन्ट किया गया। उनको अपोइन्ट करने का नतीजा यह हुआ कि ऐसे अध्यापक जो बहुत अरसे से काम कर रहे थे उनको सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—स्थायी को सरप्लस डिक्लेअर नहीं किया जा सकता।

श्री चांदमल मेहता—किया गया या, नहीं क्या आप जांच करवा सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरा कहना यह है कि स्थायी कर्मचारी को सरप्लस नहीं किया जा सकता। अगर कहीं किया गया है तो इस बात की जानकारी करनी होगी। लेकिन जहां तक नये व्यक्ति के लगाने का सवाल है उसको सरप्लस डिक्लेअर करके जो स्थायी हैं उनकी जगह टेम्परेरी लगाने का कोई नियम नहीं है; इस तरह का सरकारी आदेश है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उसके बारे में यह दलील दी गई है कि अगेन्स्ट वेकेन्सी अपोइन्टमेंट किया जाता है, पर उस वक्त कोई वेकेन्सी नहीं थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अच्छा यह हो अध्यक्ष महोदय, कि किनको सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया है, वे उनका नाम बता दें तो जांच कर लूं और आपको जवाब दे सकूं।

Page No.7

श्री अध्यक्ष—Yes, abstract and general question will not serve the purpose.

श्री चांदमल मेहता—यह जानने की इच्छा है तो मैं अर्ज कर दूं। पहले इसलिये नाम नहीं जाहिर किया था कि अगर नाम बतावें तो व्यक्तिगत प्रश्न किया गया है इसलिये एडमिट ही नहीं किया जाता; पर अब जब आप जानना ही चाहते हैं तो बता देता हूं कि हुआ यह है कि क्लियर वेकेन्सी के अगेन्स्ट में किसी और को अपोइन्ट कर दिया और नित्यानन्द आदि दूसरे मास्टर थे उनसे कह दिया गया कि आप सरप्लस डिक्लेअर कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—अब वे जवाब दे देंगे। that will serve the puarpose of the honble member. Next, shri Chandmal Mehta

प्रश्न संख्या ६६

श्री चांदमलमेहता—गुरुदयाल सिंह प्रश्न करेंगे साहब।

श्रीअध्यक्ष— sorry, he is not here

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७

ग्राम पीह में हरे पेडों का कटवाया जाना

श्रीचांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पीह (तहसील परबतसर) के ठाकुरों ने इस वर्ष कितने हरे पेड कटवाये ?

(ख) उक्त पेड़ काटने के सम्बन्ध में क्या सरकार से कोई आज्ञा प्राप्त की गई थी ?

(ग) यदि हां तो कितने पेड काटने की किस अधिकारी ने आज्ञा दी ?

(घ) गांव वालों की तरफ से इनके सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र प्रेषित किये गये ?

(ड) किस किस तारीख को कितने कितने हरे पेड़ कटे हुए बरामद कराये गये ?

(च) सरकार द्वारा पीह ठाकुर के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री सम्पतराम— (उप मन्त्री, राजस्व विभाग) (क) गांव पीह तहसील परबतसर के ठाकुर ने इस साल कितने हरे पेड कटवाये हैं, इसकी सूची सरकार के पास नहीं है। खातेदार काश्तकारों को अपने निजी कार्यों व कृषि कार्यों के हेतु पेड़ काटने के लिये आज्ञा लेने की आवश्यकता नही होती।

(ख) सिर्फ सात पेड़ काटने की एक दरख्वास्त एस. डी. ओ के कोर्ट में दिनांक ६।६।५५ को पेश हुई, जिस पर अभी कोई आज्ञा नहीं दी गई है।

(ग) पेड़ काटने की कोई आज्ञा नहीं दी गई।

(घ) गांव वालों की ओर से एक संयुक्त आवेदन-पत्र जिलाधीश नागौर के यहां दिनांक १५।७।५५ को पेश हुआ जिस पर जांच की जाकर महत्वहीन साबित होने पर फाइल कर दिया गया।

(ङ) कोई हरा पेड़ ठाकुर पीह के यहां बरामद नहीं हुआ।

(च) अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत पेश नहीं हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पीह ठाकुर के यहां बरामदगी नहीं हुई, लेकिन पीह ठाकुर द्वारा काटे गये हरे पेड़ वहां के किसानों ने तहसीलदार को शिकायत करके बरामद कराये ?

श्री सम्पतराम—मैंने जवाब दिया कि यह बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के पेड़ काटने पर कई मरतबा बरामद कराये गये और तहसीलदार ने वे सारे कागज दबा दिये ?

श्री सम्पतराम—आप कोई खास उदाहरण पेश करेंगे तो तफतीश की जावेगी। यह एक कानूनी सवाल है। इसके लिए अलग से कानून बना हुआ हैं। उसके तहत कोई भी आदमी तहसील तथा एस. डी. ओ. के कोर्ट में प्रार्थना-पत्र पेश कर स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।

श्री चांदमल मेहता—यह कानून कब से बना जब कि टीनेन्सी लॉ में ऐसी व्यवस्था है कि खेती के काम के अलावा हरे पेड़ नहीं काटे जा सकते। अगर कोई काटता है तो यह टीनेन्सी कानून की अवहेलना है। तो इस सम्बन्ध में कोर्ट में फिर कौन दावा करेगा ?

श्री सम्पतराम—टीनेन्सी लॉ में यह प्रोवीजन जरूर है, पर वह तो १५ अक्टूबर को अमल में आया है; इससे पहले भी रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डीनेन्स बना हुआ था। इस कानून के तहत

[श्री सम्पतराम]

में ही कोर्ट में दावा हो सकता था। जिस समय टीनेन्सी कानून एग्ज़िस्टेन्स में नहीं था उस समय ऐसे मामलों में इस ordimance के द्वारा ही कार्यवाही की जाती थी।

श्री चांदमल मेहता—जिस समय टीनेन्सी लॉ लागू नहीं था उस टाइम अगर कोई हरे पेड काट ले और बड़ी तादाद में काट् ले तो उस हालत में उसका दावा क्या किया जाना चाहिये और कौन करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जवाब ठीक दिया गया है कि उसके यहां बरामद नहीं हुए। अगर दूसरों के यहां बरामदगी होना आप बतावें तो हम इसकी जांच करेंगें। रहा सवाल यह कि पेड़ इस तरह के हरे काटने से रोकने के लिए क्या प्रोवीजन है तो पहले भी प्रोवीज़न था और अब भी है। जो कोई भी हरे पेड बिना स्वीकृति प्राप्त किये काटता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल को माननीय मन्त्री महोदय पढ़ लेते तो यह साफ उसमें था कि किस किस तारीख को कितने कितने हरे पेड़ कटे हुए बरामद कराये गये ? इसमें मैंने यह नहीं पूछा कि पीह ठाकुर के यहां कितने बरामद कराये गये। इनके द्वारा काटे जाने वाले दरख्तों से ही मेरा मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा सवाल है कि कितने कहां कहां बरामद कराये गये पर जवाब में यह है कि पीह ठाकुर के द्वारा कटाये गये (पेडों) की कोई बरामदगी नहीं हुई। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय की यह भी जानकारी में है कि गांव वालों ने अपनी ओर से इस सम्बन्ध में कलेक्टर और तहसीलदार को की गई दरख्वास्तों पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही न की जाने की स्थिति में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा माननीय मिनिस्टर महोदय को भी आवेदन-पत्र पेश किया था?

श्री सम्पतराम—जी हां। उसको जांच के लिए सौंपा गया।

श्री चांदमल मेहता—तो किस किस के यहां जांच कराई गई ?

श्री सम्पतराम—किस किस के यहां जांच कराई जाय, यह स्पेसिफिक नहीं था। आपका सवाल पीह टाकुर से सम्बन्ध रखता है तो वहां जांच करा ली गई और वहां कोई बरामदगी नहीं हुई। अब और किस किस के यहां कराई जावे इसकी इन्फोर्मेशन आप दीजियेगा। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को जनरल बना दिया जावेगा तो बडी दिक्कत होगी।

श्री चांदमल मेहता— मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। मैंने पूछा, क्या यह सही है कि हरे पेड़ काटने की शिकायत पर कार्यवाही कलक्टर और तहसीलदार द्वारा न कराने की स्थिति में वहां के किसानों ने अपनी ओर से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा राजस्थान के राजस्व मंत्री महोदय की जांच करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया था ?

श्री सम्पतराम—यह हमारी जानकारी में नहीं है। होगा तो आप बतावें, तफतीश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह क्वेश्चन जो है वह पीह ठाकुर के सिलसिले का ही समझा जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—बिल्कुल उसी के सिलसिले में है।

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं, सवाल यह है कि तहसीलदार को शिकायत की गई और जांच करवा कर हरे कटे हुए दरख्त भी बरामद करा दिये गये। तो अब वे कहां पर बरामद हुए और उस पर क्या कार्यवाही की गई। उन्होंने अब यह कह दिया कि पीह ठाकुर के यहां घर पर नहीं मिला। तो उन्हीं से मेरा मतलब था कि वे कहां किसके यहां मिले। यह जवाब में बिल्कुल छोड़ दिया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह कैसे पहचाना जावेगा कि यह दरख्त पीह ठाकुर का ही कटाया हुआ है। दरख्त में क्या लिखा है, कि यह उनका कटाया हुआ है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं यह कह रहा हूँ, मैं तो यह कह रहा रहा हूँ कि उनको शिकायत हुई, दरख्त बरामद हुए, पर वे सारे कागजात दबा दिये गये।

श्री सम्पतराम—इसका मैंने पहले ही जवाब आपको दे दिया है। १५।७।५५ को दरख्वास्त पेश हुई थी, उस पर जांच की गई और जांच के फलस्वरूप कोई नतीजा नहीं निकला। तो वे कागजात फाइल कर दिये गये।

प्रश्न संख्या ६८

श्री अध्यक्ष—श्री गुरदयालसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.11

प्रश्न संख्या ६९

नागौर में एच. सी. और सी. डब्ल्यु के महकमे तोड़ देने पर उन जागीरदारों को खानगी देने सम्बन्धी

श्री भोपलसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैसियत कोर्ट व कोर्ट ऑफ वार्ड्स का महकमा तोड दिया गया है ?

(ख) क्या इन नागौर डिस्ट्रिक्ट के एच. सी. व सी. डब्ल्यु के जागीरदारों को महकमा तोड़ देने के बाद कई खानगी वगैरह देने का प्रबन्ध गवर्नमेंट ने किया है ?

(ग) क्या इनकी रकम जो उपरोक्त महकमें के हैड में जमा थी वह इनको दे दी गई है ?

(घ) अगर नहीं, तो कब तक दे दी जावेगी ।

श्री सम्पतराम—जी नहीं, उक्त दिमाग अभी तक नहीं तोड़ा गया है ।

(ख) हैसियत कोर्ट के जागीरदारान की जागीरें जो पुनर्ग्रहित हो चुकी हैं उनको आइन्दा मुआवजे की रकम मिलेगी । खानगी दिये जाने का कोई सयाल पैदा नहीं होता । जिनकी जागीर पुनर्ग्रहण नहीं हुई है उनको नियमानुसार खानगी दी जावेगी ।

(ग) हैसियत कोर्ट जमा रकम में से जागीरदारान को चौथाई के हिसाब से खानगी दी गई है । बाकी रकम सरकारी बकाया में व बोहरों को दी जावेगी । ऐसी सूरत में जागीरदारान को जमा शुदा रकम दिये जाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जागीरदारान जिनकी जागीर पुनर्ग्रहण हो चुकी है, उनके गार्जियन मुकर्रर किए जा रहे हैं । रकम हिसाब जमा-खर्च के मिलाने के बाद दी जावेगी ।

(घ) हिसाब जमा-खर्च का मिलान महालेखापाल जयपुर से हो रहा है । रकम भुगतान वर्ग पी. डी. अकाउन्ट नम्बर २ में होने पर दी जायगी ।

हैसियत कोर्ट के जागीरदारान की वसूल शुदा रकम का चौथाई हिस्सा दिया गया है व कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जागीरदारान की रकम जमा है उनको खानगी दी गई है व जिनकी रकम जमा नहीं है उनको नहीं दी गई । इसमें भूख से मरने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ७०

सरवाड़ तहसील का मोहरम और बजरी की रॉयल्टी क्लेक्शन का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरवाड़ तहसील का चालू वर्ष का मोहरम और बजरी की रॉयल्टी क्लेक्शन का ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया ?

(ख) क्या उक्त व्यक्तियों को पीली और मूडा की रॉयल्टी वसूल करने का अधिकार भी सरकार द्वारा दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ?

(घ) यदि नहीं तो ठेकेदार द्वारा इस रॉयल्टी के कलेक्शन करने की शिकायत पर सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया ?

भोगीलाल पंड्या—(क) श्री मूलचन्द जैन को । ५०१ रुपयों में ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जांच की गई । शिकायत ठीक नहीं थी । ठेकेदार को नियम के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की रोयल्टी वसूल नहीं करने के लिए हिदायत कर दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो शिकायत की गई उसके साथ उस ठेकेदार ने रसीद दी और ठेकेदार के खुद के उस पर दस्तखत थे । वह रसीद भी पेश की गई थी । उसमें उन चीजों की रॉयल्टी वसूल की गई जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है ?

श्री भोगीलाल पांड्या—जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

श्री माधोलाल गुप्ता ने २०-५-५५ को शिकायत की कि ठेकेदार आम तौर पर कच्चे मकानों में मुरड, पीली व काली मिट्टी जो दड़ने नीपने वगैरह के काम लेते हैं उस पर भी रॉयल्टी उसमें मांगना शुरू कर दिया है और वह ठेकेदार यह भी कहता फिरता है कि जिस तरह से सेल्स टेक्स नया सरकार ने लागू किया है उसी तरह से यह लाग भी लगी है और लागू रहेगी तो; यह बात ठीक नहीं है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

रसीद की बात ठीक है। रॉयल्टी वसूली, की रसीद तारीख ३-१२-५५ है। इरसाद फकीर से मुरडा गाड़ी तीन तालाब से लाया। मुरडा गाड़ी नग ३ तालाब से शहर में लाया। ३ गाडी मुरडा दर बारह आना, ६ पाई इसका लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो जांच कराई गई उस जांच में जिस व्यक्ति ने अपनी ओर से शिकायत की थी उसको उस जांच के वक्त मौका नहीं दिया गया खिलाफ शिकायत पेश करने का और सरसरी तौर पर दरयाफ्त कर लिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह सत्य नहीं है। यह जांच बराबर कराई गई। जिन लोगों की तरफ से शिकायत थी उन किसानों से पूछा गया। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं है। केवल एक रसीद पेश की गई और यह आपके सामने पढ़ कर सुना दी। श्री माधोलाल गुप्ता को इसकी सूचना दे दी और उन्होंने इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री माधोलालजी को नहीं सुनाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी उन लोगों को शिकायत नहीं है। श्री माधोलालजी को हो सकती है, जो कि ठीक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो शिकायत करने वाले हैं वे एक जवाबदार व्यक्ति हैं और जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। क्या सरकार ने आवश्यक नहीं समझा कि जब जांच की जाय तो उनको यह मौका दिया जाय कि वे इसे प्रकाशित करें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनके पास लिख कर भेज दिया गया है कि आपकी शिकायत ठीक नहीं है। वह उन्होंने मान लिया होगा तभी आगे कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—He asks whether duriug the course of investigatons that man was given an oppertunity to prove the case ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उन्होंने जिन किसानों की तरफ से शिकायत की गई उन किसानों से पूछा गया, श्री माधोलाल गुप्ता से नहीं पूछा गया है।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आदमी शिकायत करता है उसको उसे प्रमाणित करने का मौका क्यों नहीं दिया गया कि शिकायत क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—नहीं दिया गया है, यह साफ कह दिया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई शिकायत नहीं है। कई लोग पचासों दरख्वास्तें दिया करते हैं। जिन शिकायतियों की शिकायतें थीं वे ठीक नहीं निकलीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसानों का कोई कागज सरकार के सामने आया था?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन २ बातों की शिकायत थी उनकी हरेक बात की जांच की गई। वे सारी बातें पूरी नहीं निकलीं तो, क्या पूछें? पीली मिट्टी, काली मिट्टी और सफेद मिट्टी का नहीं लिया गया, तो फिर लिया किस पर गया है। बाकी जो ठेकेदार है वह तो लेगा ही।

श्री चांदमल मेहता—मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि किन किसानों से जांच की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—श्री माधोलालजी से पूछने का कहा था तो उनको नहीं पूछा गया। जिन किसानों की, जिन लोगों की शिकायत थी उनसे पूछा गया तो यह बात ठीक नहीं निकली।

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया कि किसानों की तरफ से शिकायत थी, उनसे पूछा गया। श्री माधोलाल से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री चांदमल मेहता—शिकायत श्री माधोलाल की तरफ से थी और जांच की गई किसानों से?

श्री अध्यक्ष—किसानों का रेफ्रेन्स दिया गया इसलिए किसानों से जांच की गई; That is the reply.

श्री किशनलाल शाह—क्या शिकायत में किसानों के नाम थे?

श्री अध्यक्ष—तभी तो की गई, it is presumed.

श्री किशनलाल शाह—फलां फलां किसानों से लिया गया है ऐसा दिया गया था ताकि उनसे पूछा जा सकता है। किसानों से पूछा गया है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप चाहें तो सारी फाइल पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, सारी फाइल न पढ़ें। (हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—बात सीधी सी है। जो शिकायत की गई है और जो रसीद बताई गई है वह उसमें नहीं थी। उस रसीद का नम्बर, तारीख और ६ आना लिया गया, वह सब बता दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—वह बात नहीं है। सवाल यह है कि श्री माधोलाल ने दरख्वास्त की और उन्होंने किसानों के नाम लिखे कि फलां फलां की शिकायत थी तो माधोलाल की प्रेजेन्स में किसानों से पूछा गया है या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि नहीं पूछा गया है।

श्री जसवन्तसिंह—तो फिर किन किसानों से पूछा? आपने जिनसे पूछा उनके नाम दरख्वास्त में थे या दूसरे किसानों से आपने पूछा The reply is not to the point ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले बताया। आपने जवाब में यह कहा कि जिन २ बातों की शिकायत आई है उन पर किसी पर रॉयल्टी नहीं ली गई; तो पूछें तो क्या पूछें? एक दरख्वास्त आई थी कि रॉयल्टी जिन चीजों पर नहीं लेनी थी उन पर ली गई उसके लिए मैंने कहा। श्री माधोलालजी से नहीं पूछा गया। इसके बारे में पहले कह चुका हूं।

श्री जसवन्तसिंह—यह सवाल नहीं है। मैं मंत्रीजी से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले वाला ही पूछ लीजियेगा।

श्री जसवन्तसिंह—आप जो फरमा रहे हैं उससे दूसरी चीज में पूछने वाला है। श्री माधोलालजी ने एक दरख्वास्त आपको किसी की शिकायत करते हुए दी। उसमें उन्होंने कुछ नाम भी दिये कि फलां फलां काश्तकारों ने ऐसा कहा था: आपने जो एन्क्वायरी की वह उन्हीं काश्तकारों से की जिनके नाम श्री माधोलालजी ने दिये या दूसरे काश्तकारों से?

श्री भोगीलाल पंड्या—उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ कर सुना दूं:—
"अविश्वास पैदा करने की दुर्भावना पैदा की जाती है और ठेकेदार यह भी कहता है कि सेल्स टेक्स नया लगाया; इसी तरह से यह लाग भी सरकार नई लगायेगी।

आम तौर पर कच्चे मकानों के काम में आने वाली मुरड़ा मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, दड़ाई, लिपाई वगैरह की भी रॉयल्टी मांगना शुरू कर दिया है जो कि आज तक नहीं लगी। वहां पर जांच करने वाला श्री माधोलालजी से नहीं मिला। दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि काली मिट्टी, मुरड़ आदि पर लाग नहीं ली गई। इसलिए कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये गये और श्री माधोलालजी को सूचना दे दी गई कि आपने जो लिखा है वह ठीक नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ प्रश्नकर्ता को आपत्ति है।

श्री चांदमल मेहता—जांच करने वाले अफसर कौन गये थे उनका नाम बता दीजिये?

श्री भोगीलाल पंड्या—ली जयनारायण शर्मा ।

श्री चांदमल मेहता—यह किस पोस्ट पर काम करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसीलदार हैं ।

श्री चांदमल मेहता—मेरे खयाल से यह क्लार्क हैं तहसीलदार नहीं हैं। (हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—हमारा जो माइनिंग का आदमी है उसके द्वारा जांच कराई गई । ली जयनारायण शर्मा ने लोगों से पूछा और और सबके बयान लेकर पूछा है ।

श्री चांदमल मेहता—मैंने तो डेजिग्नेशन की बात पूछी थी । वह किस अफसर की ग्रेड होल्ड करते हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—एक चपरासी का भी डेजिग्नेशन होता है । मुझे जानकारी नहीं है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हरेक के डेज़िग्नेशन की जानकारी करता फिरूं ।

प्रश्न संख्या ७१

राजगढ (जिला चुरू) के अनिवार्य शिक्षा स्कूल के अध्यापकों ५ महीने का वेतन

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या राजगढ़, जिला चुरू की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों के अध्यापकों को महीनों तक नगरपालिका वह शिक्षा विभाग के बीच फिरने पर भी ६-६ माह तक वेतन नहीं मिल पाता ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

(ख) उपरोक्त स्कूलें सरकार के अधीन हैं या नगरपालिकाओं के ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री)—(क) नगरपालिका के बजट की रकम स्वीकृत नहीं हुई थी इसलिए विलम्ब हुआ ।

(ख) वे नगरपालिका के आधीन हैं। इस प्रश्न का निर्णय हो चुका है ।

प्रश्न संख्या ७२

राजस्थान में नमक बनाने का सन् ५४-५५ में कार्य कुछ विशेष व्यक्तियों को

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान में नमक बनाने का काम कहां कहां किया जाता है ?

(ख) सन् ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में किन किन पार्टीज़ को नमक बनाने की पर्मिशन देने के लिये किन शर्तों पर रिकमेण्ड किया गया ?

(ग) किस २ पार्टी द्वारा उक्त वर्ष में कितना नमक तैयार कराया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) राजस्थान में नमक बनाने का काम निम्न स्थानों पर होता है।

बड़े पैमाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा

१. सांभर, २. पंचभद्रा, ३. डीडवाना।

छोटे पैमाने पर यानी घरेलू उद्योग की तरह १० एकड़ से कम जमीन के क्षेत्रफल में प्राइवेट पार्टीज द्वारा

१. फलोदी, २. चानोद, ३. देवरिया, ४. भरतपुर।

(ख) संचालक उद्योग व व्यवसाय द्वारा सन् ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में आये हुए २३ प्रार्थनापत्र दिये गये हैं। नमक बनाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा उनके नियमानुसार होती है।

(ग) सन् ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में छोटे उद्योग की प्रणाली द्वारा निम्नलिखित मात्रा में नमक तैयार किया गया।

१. कपड़ा सॉल्ट कं० त्रिलाड़ा	१,४२० मन २२ सेर
२. भारत ऑइल मिल्स, भरतपुर	२१ मन ३७ सेर
३. जुहारसिंह महाराजसिंह सॉल्ट कन्ट्राक्टर, भरतपुर,	१२५ मन
४. तहसील चानोद	१०००० मन।

फलोदी और देवरिया के अंक प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह जो (ख) खंड है उसका पूरा जवाब नहीं मिला है कि किन २ शर्तों पर किन २ को रिकमन्ड किया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं अपने जवाब में कह चुका हूँ कि यह भारत सरकार का प्रश्न है, राजस्थान सरकार कहीं बीच में नहीं आती है। नमक बनाने की स्वीकृति भारत सरकार से उनके नियमानुसार होती है।

श्री चांदमल मेहता-रिकमन्ड किन २ को किया गया है? रिकमन्ड तो राजस्थान सरकार ने किया होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि २३ आदमियों को रिकन्ड किया है। जो लोगों कि नमक बनाना चाहते हैं उनको रिकमन्ड कर दिया।

श्री चांदमल मेहता-किन २ को किया गया हैं, उनके नाम जानना चाहता हूं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—

१	श्री शिवकरण सुपुत्र देवीदत्त	फलौदी	१८.१.१९५५
२	,, बन्शीलाल दवे	,,	,,
३	,, विशंभरलाल शर्मा	,,	,,
४	,, चौथमल जयकिशन	,,	,,
५	,, हसनखां मक्खू खां	,,	,,
६	,, गंगाबिशन राठी	,,	,,
७	,, शिवनारायण गुलया	,,	,,
८	,, बुधमल	,,	,,
९	,, दीपचंद छांगानी	,,	४.२.५५
१०	,, मोहनलाल	,,	,,
११	,, पोखरदास जोशी	,,	,,
१२	,, पन्नालाल छांजानी	,,	,,
१३	,, मंत्री नमक उत्पादक व विक्रय संघ		,,
१४	,, हसन खां सिन्धी	,,	१८.१.५५

Page No.19

१५	श्री	श्रीमती रामरखी बाई	फलोदी	४.२.५५
१६	,,	,, शिवधारी बाई	,,	,,
१७	,,	बाबूलाल लडानिया	डीडवाना	१८.१.५५
१८	,,	सीताराम लडानिया	,,	,,
१९	,,	गंगाबिशन अग्रवाल	,,	,,
२०	,,	सीताराम अग्रवाल	,,	,,
२१	,,	रामवल्लभ गोपी कृष्ण	सांभरलेक	,,
२२	,,	उम्मेदसिंह	डूंगरी	,,
२३	,,	ओंकारमल रामेश्वरलाल	सांभरलेक	,,

श्री चांदमल मेहता–ऐसे कितने आवेदन-पत्र, थे जिनको रिकमंड नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या–नियमानुसार जितने आवेदन-पत्र आये उन सबको रिकमंड कर दिया, किसी को टाला नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७३

सवाई माधोपुर गर्ल्स स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) गर्ल्स मिडिल स्कूल में विभागीय कितनी अध्यापिकाएं नियमानुसार रक्खी जाती हैं ?

(ख) सवाई माधोपुर गर्ल्स मिडिल स्कूल में इस समय कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अध्यापिकाओं की कमी के कारण बालिकाओं को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं मिलती ?

Page No.20

[श्री श्रीदास गोयल]

(घ) सरकार इस कमी को कब तक पूरा करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) कन्याशालाओं में अध्यापिकायें लिये जाने के लिये कोई विशेष नियम नहीं हैं। कक्षाओं के सैक्शनों को देखते हुए बजट की दृष्टि से अध्यापिकायें प्रोवाइड की जाती हैं। साधारणतया प्रति ३० छात्राओं के सैक्शन पर १ अध्यापिका दी जाती है।

(ख) इस समय कन्या माध्यमिक शाला सवाई माधोपुर में ७ अध्यापिकायें हैं।

(ग) अध्यापिकाओं की कोई कमी नहीं है और बालिकाओं को ठीक ढंग से शिक्षा मिल रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सामाजिक ज्ञान पढ़ाने के लिये वहां कोई अध्यापिका नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ, इसके लिये अध्यापिका नहीं है; ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। और पता लगा लूंगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया कि बजट को दृष्टि में रखते हुए अध्यापिकाएं रखी जाती हैं तो बजट को ध्यान में रखते हैं या वहां के विद्यार्थियों की तादाद और जरूरत को ध्यान में रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि दोनों को खयाल में रखना पड़ता है क्योंकि तादाद ज्यादा हो, लड़कियों और लड़कों की किसी स्कूल में तो जहां छात्रों को पढ़ाने का प्रश्न है वहां बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसा भी हमारे राजस्थान में होता है कि लड़कों और लड़कियों की तादाद के लिहाज से १० अध्यापक और १० अध्यापिकाओं की जरूरत हो और बजट के लिहाज से ५ ही कर सकें, तो क्या ५ ही नियुक्त होंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं होती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि हर एक विषय पढ़ाने के लिये एक अध्यापिका रखी जानी चाहिये, ऐसा नियम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं यह आवश्यक नहीं है कि एक एक विषय के लिये एक एक अध्यापिका हो, एक अध्यापिका और दूसरे कई विषय भी पढ़ा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७४

तहसील जैसलमेर, पोकरण, रामगढ़ इत्यादि के तहसीलदारों के शीघ्र स्थानान्तर

श्री हनवन्तसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तहसील जैसलमेर, पोकरण, रामगढ़, सम, फतेगढ़, नाचना के तहसीलदारों का तबादला छः माह के अन्दर २ हो जाता है?

(ख) क्या ऐसी भी कोई तहसील है जहां तहसीलदार अभी तक एक माह से ज्यादा नहीं रहा है?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) जैसलमेर जिले में ६ तहसीलें हैं और यह सच है कि इनमें से ५ तहसीलों में तबादले जल्दी हुए हैं। इसका मुख्य कारण इलाके की कठिनाइयों का है और यहां के तहसीलदार अक्सर लम्बी लम्बी छुट्टियां ले लिया करते हैं।

(ख) जिला जैसलमेर की ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां अभी तक तहसीलदार एक माह से अधिक न रहा हो।

श्री हनवन्तसिंह—क्या सम में अभी तक तहसीलदार नहीं है।

श्री सम्पतराम—सम और कई तहसीलें हैं, प्रश्न कर्ता ने जनरल क्वश्चन पूछा है; टाइम नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—सम में अभी भी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा खयाल है, वह जोइन कर रहा होगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जोइन करने के लिये कितना समय दिया हुआ है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वैसे जनरली ७ दिन का समय रखा जाता है, पर सम के लिए और भी अधिक समय लग सकता है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि सम, शिव और शेरगढ़ की तहसीलों में जिनकी शिकायतें होती हैं, उन्हीं को भेजा जाता है?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है, शेरगढ़ तो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है ।

(हंसी)

कु० श्री जवन्तसिंह—तो क्या जिनका काम अच्छा होता है उनको शेरगढ़ भेजा जाता है ?

श्री सम्पतराम—यह तो कोई बात नहीं है ।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर की तहसीलों में जिनकी शिकायत होती है उनको भेजा जाता है, क्या यह सही है ?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है ।

श्री हनवन्तसिंह—तो फिर कैसी बात है ?

(हंसी)

श्री सम्पतराम—बात तो वैसी है जैसी को आप समझते हैं ।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि शेरगढ़ राजस्थान में काला पानी समझा जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, उसको तो एक बहुत तन्दुरुस्ती का स्थान समझा जाता है ।

(हंसी)

राज श्री हिम्मतसिंह—डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर की तहसीलों में कितने दिनों तक तहसीलें बगैर तहसीलदार के खाली रहती हैं ?

श्री सम्पत राम—आम तौर से खाली नहीं रहतीं, ट्रान्सफर्स होती हैं या बीमारी हो जाय वैसी हालत में जैसलमेर की ही नहीं बाकी दूसरी जगह की तहसीलें भी खाली रह सकती हैं । वैसी सूरत में भी खाली रहने का सवाल नहीं आता क्योंकि नायब तहसीलदार काम करते हैं तो खाली रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कु० श्री जसवन्त सिंह—सम तहसील में कितने अर्से से तहसीलदार नहीं है ?

श्री सम्पत राम—यह तो मैं जानकारी करके बतलाऊंगा । मेरे ख्याल से होंगे, नहीं तो जानकारी की जाकर कार्यवाही की जावेगी ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—नहीं होंगे तो नहीं होंगे।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि रामगढ़ और सम तहसीलों के तहसीलदार हैडक्वार्टर पर जाते ही नहीं हैं और जैसलमेर में ही बैठे रहते हैं?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है। आप शायद उस समय की बात करते हैं, जिस समय या तो तहसीलदार दौरे पर रहता है या आवश्यक कार्यवश ज़िला तथा कमिश्नर हैडक्वार्टर पर आता है।

श्री खेतसिंह—नहीं जैसलमेर में बैठे रहते हैं, दौरा नहीं करते; क्या यह जानकारी में है?

श्री सम्पतराम—यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह—अगर साबित कर देंगे कि वे जैसलमेर में ही रहते हैं तो क्या एक्शन लेंगे!

श्री अध्यक्ष—साबित हो जायगा तो जानकारी हो जायगी।

(हंसी)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५

राजगढ़ (जिला चूरू) के हरिजन होस्टल के सहायतार्थ स्वीकृत रकम

श्री प्रभुदयाल—क्या मंत्री पिछड़ी जाति कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजगढ़, जिला चूरू के हरिजन होस्टल को सहायतार्थ कितनी रकम स्वीकृत की गई है?

(ख) क्या सही है कि सारी मांगें मंजूर हो जाने के बावजूद भी उन्हें अभी तक पैसे नहीं दिये गये हैं?

(ग) यह मांग कितने अर्से से की जा रही है।

श्री भोगीलाल पांड्या—(दलित वर्ग उत्थान मंत्री)—

(क) राजगढ़ जिला चूरू के हरिजन होस्टल को ता० १२।११।५५ को ८८५ रू० की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) नहीं, १२।११।५५ के दिन ८८५ का बिल संस्था के व्यवस्थापक के पास हस्ताक्षरों के लिये भेज दिया गया था।

(ग) सहायता के लिये आवेदन पत्र ता० १।८।५५ को बीकानेर स्थित प्रादेशिक अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। नियमानुसार आर्थिक वर्ष के शुरू होने के ७ मास पूर्व इस सहायता के लिये आवेदन–पत्र पूर्ण सूचना सहित आने चाहिये; याने यह आवेदन पत्र अगस्त सन् १९५४ में ही आ जाना चाहिये था।

श्री प्रभुदयाल—जो होस्टल संस्था द्वारा चालू होते हैं उनके लिये इतनी देर में रकम दी जाती है, क्या यह ठीक है ?

श्री भोगीलालपांड्या-मैंने कहा कि ७ महीने पहले प्रार्थना पत्र आना चाहिये था। उन्होंने पहली बार १।८।५५ को दिया और १२।११।५५ को बिल दे दिया गया। सरकार की तरफ से देरी नहीं हुई है, उनकी तरफ से देरी हुई है।

प्रश्न संख्या ७६

सवाई माधोपुर नगर में बिजली लगाने का शासकीय प्रबन्ध

श्री श्री दास गोयल—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा सवाई माधोपुर नगर में बिजली लगाने का निर्णय लिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो अब तक बिजली क्यों नहीं लग पाई है ?

(ग) अब सरकार कब तक बिजली लगा सकेगी ?

(घ) जिला केन्द्रों में कौन कौन से ऐसे नगर हैं जहां बिजली नहीं है या जहां बिजली लगाने का सरकार द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) सवाई माधोपुर के विद्युतीकरण के लिए मई सन् १९५५ में मन्जूरी हुई है और डीजल जेनरेटिंग सेट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले परियो-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जना आयोग तथा केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा यह सूचना मिली थी कि इस कार्य के लिए डीजल जेनेरेटिंग सेट केनेडा से कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत प्राप्त होंगे। केवल सितम्बर १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि हम प्लान्ट प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं।

(ग) इस कार्य के मई १९५६ के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। इस कार्य का पूरा होना आवश्यक कर्मचारी वर्ग के प्राप्त होने तथा परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) की सुविधा मिलने पर निर्भर है। पॉवर स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन आदि का मिलना भी इस कार्य के पूरा होने में एक अंग रहेगा।

(घ) निम्नांकित जिला केन्द्रों में अभी बिजली नहीं है:

१. सवाई माधोपुर

२. जालोर।

३. झुंझुनूं।

४. चितौड़गढ़।

इन चारों जिलों का अरबन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण किया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सवाई माधोपुर में जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही पूरी कर दी गई है?

श्री सुखाड़िया—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—डीज़ल सेट्स अब कब तक मिल जाने की संभावना है?

श्री सुखाडिया—इसके लिये टेन्डर वगैरह मांग लिये हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया ट्रान्स्पोर्ट की सुविधा मिल जाने पर हम चाहते हैं कि जल्दी ही आ जाय

श्री श्रीदास गोयल—जो टेन्डर आ चुके हैं उनमें से कुछ मंजूर भी किये जा चुके हैं कि नहीं?

श्री सुखाडिया—अभी मंजूर नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—मंजूरी होने के बाद ही इम्पोर्ट हो सकता है, कब तक मंजूर होंगे?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इसी महीने में ।

प्रश्न संख्या ७७

राजगढ़ (जिला चूरू) के वर्षा से हरिजनों के मकान गिरने से क्षति एवं उन्हें शासकीय सहायता ।

श्री प्रभुदयाल—क्या पिछड़ी जाति कल्याण विभाग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के पास राजगढ़ जिला चूरू के हरिजनों की वर्षा से मकानों के गिरने से नुकसान होने की शिकायत आई है ?

(ख) अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है व उनकी कितनी सहायता की गई है ?

श्री भोगीलाल पंडया— (क) हां ।

(ख) सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा बाढ़ पीड़ित हरिजनों की आर्थिक सहायतार्थ ३०३१ रु० की धन राशि स्वीकृत की गई है । इसके अतिरिक्त जिलाधीश चुरू द्वारा भी कस्बा राजगढ़ में हरिजनों को २०५ रु० की धन-राशि आर्थिक सहायतार्थ वितरित की गई है ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—क्या हरिजनों को... अश्रव्य

श्री भोगीलाल पंडया—जी नहीं ।

श्री प्रभुदयाल--हरिजनों को कितनी सहायता दी गई ।

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने आपको बताया कि ३०३१ रुपये स्वीकृत हुए।

श्री प्रभुदयाल—उनको अभी तक ये रुपये नहीं मिले हैं ।

श्री भोगीलाल पंडया—स्वीकृत होने का मतलब यह नहीं की उनको मिल गये ।

श्रीप्रभुदयाल—वहां के हरिजनों की स्थिति खराब है और इसलिये बार बार प्रार्थना करने पर भी उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है ।

श्री भोगीलाल पंडया—मैं आपको तारीख बता दूं । उनको जितना नुकसान हुआ है उसका छठा भाग सब हरिजनों को देने के लिये बिल भेजा गया है ।

श्री भैरोंसिंह—यह कौनसी तारीख को भेजा गया है ?

श्री भोगीलाल पंडया—२८.१०.५५ को यह सूचना मिली कि २५० हरिजनों के घर गिर गये हैं। १६.११.५५ को इसकी स्वीकृत की सूचना भेजी जा चुकी है।

(घन्टी)

श्री कंवरलाल जेलिया—किस रूप में यह सहायता दी गई ?

श्री अध्यक्ष—श्री संग्रामसिंह।

भोगीलाल पंडया—रुपयों के रूप में।

(श्री कंवरलाल जेलिया के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member was absent minded perhaps.

(विराम)

श्री संग्रामसिंह, प्रश्न संख्या ७८

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हनवन्तसिंह

प्रश्न संख्या ७९

जिला जैसलमेर में दलित वर्ग के छात्रों को सन् ५४-५५ में छात्रवृत्तियें

श्री हनवन्तसिंह—क्या मन्त्री अनुसूचित बन जातियां तथा दलित वर्ग कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में दलित वर्ग के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति सन् ५४-५५ में दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि छात्रवृति के फॉर्म नहीं मिलने से छात्रों को छात्रवृति नहीं मिली ?

श्री भोगीलाल पंडया— (क) ५ विद्यार्थियों को।

(ख) यह असत्य हैं।

श्री हनवन्तसिंह—मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि उनको फार्म नहीं मिले।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको यह भली भांति मालूम होना चाहिये कि जिस किसी को जरूरत होती है वे लोग फॉर्म मंगवा लेते हैं। अगर किसी को फॉर्म नहीं मिले हों तो उनको चाहिये कि किसी के पास फॉर्म छपे हुए हों उनकी कोपी करके उसको भर कर भेज सकते हैं।

श्री संतोषसिंह—फॉर्म बड़े लम्बे हैं। हाथ से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है ?

प्रश्न संख्या ८०

श्री अध्यक्ष—श्री संग्राम सिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परीशिष्ट १ देखिये)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

श्री भैरूसिंह	वि० सं०	१३	दिनांक	१-१२-५५	के लिए
श्री हरिदत्त	"	५४	"	२१-११-५५ से २०-१२-५५	तक

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५ (खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Clause by clause consideration of the Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1955. Clause 2, Shri Bhaeron singh.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक की धारा दो के विषय में मैंने एक अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। संशोधन का आशय यह था कि इस धारा का लोप कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के सम्बन्ध में जब

[श्री भैंरूसिंह]

इसके सिद्धान्त पर चर्चा हो रही थी उस समय भी इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान की पंचायतों में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उन पर प्रकाश डाला है और चाहे इस विधेयक को विचारार्थ बहुमत के आधार पर ले लिया गया हो लेकिन सदन के अधिकांश सदस्यों की यह इच्छा थी कि राजस्थान की पंचायतों के चुनावों में, उनकी स्थापना में जितनी भी अनियमितताएं बरती गई हैं वे भविष्य में नहीं बरती जावें और सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन भी मिला था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी।

मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है वह उन्हीं बातों को सदन में दुबारा रखने की गरज से नहीं बल्कि सदन में एक अजीब परम्परा चली है उसकी ओर संकेत करने के लिए प्रस्तुत किया है। वह परम्परा है माननीय अध्यक्ष, कि हाई कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं उनको रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जाय।

राजस्थान में इस विधान सभा में यह ऐसा पहला किस्सा नहीं जिसके द्वारा हमने राजस्थान के हाई कोर्ट के इस किस्म के फैसले हुए, वे रद्दी की टोकरी में फैंके, बल्कि ऐसी गलत परम्परा डाल दी जिसके कारण जिस समय हम उचित समझते हैं सदन में इस प्रकार का कानून लाकर और सदन के द्वारा पूर्ति करवाकर राजस्थान के हाई कोर्ट जो फैसला दें उन्हें रद्द करने की परम्परा डाले हुए हैं। इस धारा २ में भी जो लिखा है ; राजस्थान पंचायत एक्ट...

श्री अध्यक्ष—The hon'ble Member is conversant with the amendment moved by Shri Shridass Goel..

श्री भैंरूसिंह—मैंने देख लिया है साहब वह। मैं उससे सहमत नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member insists in retaining the words, "at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat circle, village or area", with the words 'suo-moto'.

श्री वेदपाल त्यागी—That has not been moved as yet.

श्री भैंरूसिंह—यह ठीक है लोकेट किया जावेगा, सदा उल्लिखित किया हुआ समझा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—लोप नहीं कर रहे हैं इसको। (श्री दामोदरलाल व्यास से) आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिये न, ताकि बहस में शोर्टकट हो जावे। जिस अमेन्डेड फॉर्म में आप स्वीकार करें, कर लें ताकि डिस्कशन कम हो जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—श्रीदास जी का तो मूव ही नहीं हुआ अभी।

Page No.30

श्री अध्यक्ष—सूव तो हो जावेगा। The Hon'ble member is labouring on an amendment which the Government does not want to press.

कुं श्री जसवन्तसिंह—If I may say so my friend sitting there (Shri Bhairon Singh) was still labouring with a view to see that the Government does not press the amendment which thay were putting forward. with that view he was speaking.

क्योंकि अभी नया जो अमेन्डमेंट श्री श्रीदासजी ने टेबल किया है वह एक खतरनाक संशोधन है। हम विरोधी पक्ष वाले ही नहीं, बल्कि जो यह कहते हैं और समझते हैं कि इससे सरकार अपने हाथों में हथियार लेना चाहती है, वे भी यह समझते है कि इससे जनता के हकों का गला घोंटना होगा और इसके लिए हम वजूहात देंगे कि हमें यह क्यों शंका है ? हम श्रीदासजी से तो इत्तफाक नहीं करेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह जो आपका अमेंडमेंट है कि इन शब्दों को "at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat circle, viliage or area" रहने दिया जाय।

तो श्रीदासजी का अमेन्डमेन्ट आने पर ये शब्द तो रह जावेंगे। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर यह हथियार जो दे रहे हैं सरकार के हाथों में उससे डर लग रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जो अमेंडमेंट पहले रखा है उसके अन्दर आपका अमेंडमेंट आ जाता है, उससे पर्पज़ सर्व हो जाता है।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, अगर इस तरह से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने बताया जो शब्द इस क्लॉज़ के द्वारा मूल कानून से निकल जाने वाले हैं वे शब्द इस प्रकार से रहेंगे और इस आशय का एक संशोधन सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया हैं जो शायद मन्जूर होगा। पर मेरा संशोधन का जो आशय है वह ऐसा संशोधन आने के बाद भी इसी प्रकार बना रहता है। यदि मैं जिस प्रकार की भावना इस संशोधन के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ उस भावना का समावेश इस संशोधन में होता है तो आपत्ति नहीं। पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैंने देख भी लिया है कि इसमें उसका समावेश नहीं हो सकता। तो इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि आज जैसा संशोधन उन्होंने पेश किया है ऐसे ही शब्दों को रखने में और जिस प्रकार कि पब्लिक की रिक्वेस्ट पर रद्दोबदल हो उस प्रकार की आवश्यकता का भी आधार हो कि वह भी कर दे, ये दोनों चीजें जहां तक रहें वहां तक सिद्धान्ततः मुझे विरोध नही। पर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के कारण मारवाड़ में जितनी पंचायतें बनी हैं उनका सारा करा कराया

[श्री भैरूंसिंह]

रद्द हो जाता है। पर इस कानून के द्वारा वह रद्द नहीं होगा । क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ संशोधन आज हम स्वीकार करने जा रहे हैं वह उस तारिख से लागू होगा जिस दिन से मूल का कानून पास किया गया। तो यदि इसमें मेरी भावनाओं का समावेश होता है तो उसका मतलब यह होगा कि कुल बनी हुई १६ सौ पंचायतों के बारे में जिन पर जोर दिया था हाई कोर्ट के द्वारा और जिनके बारे में कहा गया कि हमारी प्रगति हो रही है उसमें बाधा आ सकती है । तो यह बाधा उनके ख्याल से होगी पर मेरे खयाल से बाधा नहो है, हम जिसको अधिकार दिये हुए हैं उसकी रक्षा ही होगी। पर यहां तो सोचने और आधार का दोनों का मतभेद है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जनता को अधिकार दिये गये हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी अनियमित कार्यवाही हो, जिसके जरिये से उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है तो जनता को अधिकार दिया है कि राजस्थान के उच्च न्यायलय में जाकर सरकार के ऊपर इस प्रकार के आदेश प्राप्त करे, जो कुछ उनकी कार्यवाहियों में सरकार की ओर से अनुचित हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोके। तो इस प्रकार का संशोधन आता है जिसके द्वारा जो कुछ गलती की, चाहे १६ सौ पंचायतों पर असर करता हो, चाहे सब पर करता हो पर हमने गलती की इसके कारण खमियाजा उठाना पड़ा इसके लिए हाई कोर्ट में जाकर आवेदन प्रस्तुत किया । हाई कोर्ट ने मांग उचित समझी और गलत ठहराया सरकार की कार्यवाही को और विधान सभा उसी अनुचित कार्यवाही को बहुमत के आधार पर उचित बनाने की कोशिश करती है। तो सोचने क यह चीज होगी कि क्या यह परम्परा स्वस्थ होगी या जनता जो कुछ भी प्रकाश में ला सके जो, कार्यवाही हो उसमें एक प्रकार की बाधा होगी।

आज वे कह सकते हैं कि १६ सौ पंचायतों का क्या होगा, दुबारा चुनाव कराना पडेगा और ये दुबारा चुनाव दो वर्ष में भी नहीं होंगे। तो अगर यही दुबारा चुनाव कराने की ही समस्या सरकार के सामने है तो मैं सरकार को विश्वास दिला सकता हूँ कि दो महीने के लिए मुझे चार्ज दे दे और फिर देखें कि किस तरह से दो महीने में सारे के सारे चुनाव सम्पन्न होता हैं ।

(करतल ध्वनि एवं अट्टहास)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पुरानी पंचायतों में कोई सम्बन्ध नहीं है। आइन्दा की पंचायतों के बारे में है।

श्री भैंरूसिंह—सम्बन्ध बिलकुल है, सम्बन्ध आता है। आज यह स्पष्ट कर दीजिये कि इसको पास करने के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत जितनी भी पंचायतों का चुनाव हुआ है वह गलत है, इसको आप स्वीकार करेंगे या नही और स्वीकार करके दुबारा चुनाव करायेंगे या नहीं ? और मैं समझता हूँ कि आप दुबारा चुनाव नहीं करावेंगे। इसलिये कि इस धारा में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रख कर पहले से आप इसको लागू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इसकी जगह दूसरे शब्द रख कर आप सारी चीज को उचित बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो उचित होने वाला है। क्लॉज़ ९३ में होने वाला है।

श्री भैरूसिंह—तो आप विश्वास दिला दीजिये कि दुबारा चुनाव आप करावेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—दुबारा चुनाव कराने का जिक्र ही नहीं है। एरिया ट्रान्सफर होगा तो उसके मुतल्लिक धारा ८६ है। हाई कोर्ट ने तो यह लिखा है कि दफा ८६ में ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये, जो नहीं की गई।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं यह समझता हूँ कि यह इन्टरप्रेट किया जा रहा है कि पुरानी पंचायतों पर यह लागू नहीं होगा। यह गलत है, क्योंकि जो पंचायतें बनी हैं और जिनको बनाकर नये इलेक्शन कराये गये हैं वहां बर की पंचायत के बारे का वह हुक्म भी बेकार हो जाता है। जब यह एक्ट रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया जावेगा और जो गांव उसमें इधर से उधर मिला दिये गये हैं वे वेलिड हो जावेंगे। उस हालत में सरकार का पहले का हुक्म वेलिड हो जाता है और हाई कोर्ट के फैसले की कोई कीमत नहीं रह जाती है। ८६ में अधिकार दिया गया है गवर्नमेन्ट को और वह अधिकार दिया जा रहा है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और फिर धारा ९३ में वेलिडेट करते हैं। तो अगर ८६ में अमेन्डमेन्ट नहीं करें तो धारा ९३ से वेलिडेट नहीं कर सकेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, हो जावेगा। Not under 86 but under section 93.

श्री अध्यक्ष—These two clauses are corelated and the effect of an amendment of one will naturally tell upon the other.

श्री जसवन्तसिंह—They are absolurely corelated.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं निवेदन करूं कि दो बातें तो हाई कोर्ट के सामने थीं, एक तो धारा ९३ में "रिकॉन्स्टीट्यूट" शब्द का वेरीफिकेशन; तो इसका अमेन्डमेन्ट ९३ में लाये हैं।

और धारा ८६ के बारे में कहना यह है कि इसके अनुसार गवर्नमेन्ट चाहे तो कार्यवाही कर सकती है क्योंकि ९३ में नहीं कर सकती। क्योंकि ८६ में ऐसा नहीं किया गया, ८६ में कार्यवाही पंचायतें कर सकती हैं। इसलिये ८६ का अमेन्डमेन्ट इसलिये किया जा रहा है कि विलेज पंचायत के इन्स्टान्स पर ही ऐसा एक्शन लिया जा सकता है। फिर भी जो पंचायत इल्लीगल हो जावेंगी वहां धारा ८६ के मुताबिक नोटिस देकर एरियाज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा ९३ के दुरुस्त हो जाने के बाद क्लॉज़ ८६ का सवाल पैदा नहीं होता। ९३ में प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट को एरियाज़ टान्सफर करने का है।

Only at the instance of the Panchayat, अधिकार है, Government have no righ suo—moto.

श्री अध्यक्ष—Then all these interpretations will not help and I must allow Shri Bhaironsingh to say what he wants to say and then his right of reply will also accrue.

श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री को भी पता लगा कि धारा ८६ का यद्यपि उन पंचायतों से कोई सम्बन्ध नहीं है, और धारा ६३ में जो नोटिस वगैरह देने की या जितनी पुरानी पंचायतें हैं उनको वेलीडेट करने की कार्यवाही कर रहे हैं उससे उन पंचायतें का सम्बन्ध है। यदि आप दोनों धाराओं को अलग अलग पढ़ेंगे तो बिल्कुल इन्कम्प्लीट मालूम पड़ेगा। इनकम्प्लीट ऐसे मालूम होगा कि धारा ८६ में ऐसा पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह कि जनता की दरख्वास्त आये पंचायत क्षेत्र में हेर फेर करने का उस तरह से उचित समझे तो वह हेर फेर कर ले। धारा ६३ के मातहत उन पंचायतों को जो पहले बन चुकी हैं उनको वेलीडेट करते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत जितनी भी पंचायतों का निर्माण हुआ है, जिनको कि हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है उन सारी की सारी पंचायतों को वे बनायें। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। इन दोनों धाराओं का एक दूसरे से जुड़ा हुआ सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध के कारण धारा ८६ पारित होती है, उसके बाद में लाजिमी तौर पर उन्हीं शब्दों को धारा ६३ में पास करना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि जितनी पंचायतें मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत बनीं वे सारी की सारी आज जिस रूप में रहेंगीं, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जिस चीज को गलत माना हाई कोर्ट ने, और गलती यह मानी कि आज जो जनता के अधिकार थे उनको छीनने की इच्छा करती है; होना तो यह चाहिए था सरकार के द्वारा कि सरकार ने एक बार गलती की और उसकी गलती के कारण जनता को परेशान होना पड़ा, और परेशानियों को दूर करने के लिए हाई कोर्ट में जायं कि इस प्रकार की जो पंचायतें बनी हुई है उन्हें अवैध घोषित किया जाय। अवैध घोषित करने का मतलब यह था कि पंचायतों का जो चुनाव हुआ है उस कानून के मातहत उसको रद्द किया जाय और दूसरे पंचायतों के चुनाव हों। लेकिन यह परम्परा गलत है कि एक रद्दी कानून पास हो जाय और उस कानून के पास हो जाने के बाद अगर जनता राहत का उपाय निकाले और हाई कोर्ट के पास जाय, और हाई कोर्ट के फैसले के कारण राहत न मिले तो सरकार का फर्ज होता है कि जो जो उच्च न्यायालय हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है उस न्यायालय के आदेशों की इज्जत करे। आज इस प्रकार रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देकर कानून बनायें, केवल इसलिये कि १६०० पंचायतों का फिर से चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ कि १६०० तो क्या समूचे राजस्थान की समस्त पंचायतों का भी फिर से चुनाव करवाना पड़े तो भी जो अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है उसके आदेशों का पालन राजस्थान सरकार को करना चाहिए। विधान सभा बहुमत के आधार पर गलत कानून बनादे और जनता चाहती है कि उसको राहत पहुँचाई जाय और वह राहत प्राप्त करे तो उसके प्राप्त करने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाने वाला कानून चाहे सदन उसे नापसन्द कर दे तो बहुमत के आधार पर पास करवालें; तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि जो हमारा कानून के जरिए अधिकार है पास नहीं करने का उस अधिकार को बहुमत के आधार पर ठुकराया जाता है। कोई गलत कानून पास किया विरोधी दल के सदस्यों का विरोध होते हुए भी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी

[श्री भैरूं सिंह]

चाहिए। उनका कर्तव्य है कि जहां जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो उन कुठाराघात होने वाली कार्यवाहियों को रोके। मैं स्पष्ट करता हूँ कि आज बहुमत के आधार पर राज्य सरकार हाई कोर्ट के द्वारा जितने फैसले होते हैं केवल इस बात के लिए कि उनको सुविधा होती है; उस सुविधा के कारण वह उसको ठीक रूप से काम में नहीं ला सकती, सुविधा से प्रगति नहीं होगी, आदि इन स्लोगन्स की आड़ में लेकर उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देती है, उन्हें ठुकरा देती है। उन फैसलों को प्राप्त करने में इतना खर्च लगा, इतने परेशान हुए उन सारी चीजों को हमारे माननीय मंत्रीजी कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर पास करवाना चाहते हैं तो यह कार्यवाही उचित नहीं होगी। जनता को अधिकार है कि यहां नहीं कहेगी तो हाई कोर्ट में जाकर कहेंगे कि राहत पहुँचाई जाय गलत कानून से। यदि किसी गलत कानून से नुकसान हुआ और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसने चेलेन्ज किया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्टरप्रेट करके यह नतीजा निकाला कि कानून गलत है। हमें भी इसको स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि जो कुछ आज एक परम्परा बना कर एक गलत कानून बनाते हैं, भावनाओं के वश में गलत कानून बनाते हैं, बहुमत के आधार पर गलत कानून बनाते हैं, विरोधी दल के सदस्यों की कोई भी राय हो उसकी परवाह नहीं करते हुए कानून बनाते हैं, वह हाईकोर्ट में चेलेन्ज होता है, वह कानून रद्द करते हैं तो वह विधान सभा से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास होता है; तो इस परम्परा को खत्म करना है। आज सदन के सभी माननीय सदस्यों का, विरोधी सदस्यों का, इस प्रजातान्त्रिक ढांचे में, कर्तव्य है कि सरकार कोई गलत कार्यवाही करे, बहुमत का प्रयोग करके हमारे अधिकारों का जो हनन करना चाहती है, उन अधिकारों को रोकने के लिए जो कुछ ताकत है, वैधानिक ताकत है, उसका प्रयोग करें। समय बार बार नहीं आता है। एक दफा देख लिया कि कानून बन गया। किसी कारण से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास करा लिया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। इस तरह आज तक १८ कानून ऐसे पास किये हैं जिनके द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर जिन लोगों ने हाई कोर्ट से न्याय प्राप्त किया है। जिन लोगों ने न्याय करने के लिए हजारों रुपये खर्च किये उन सब चीजों को बेकार कर दिया। १६०० गांवों की प्रगति में बाधा होगी। इसमें जो पंचायतें बनीं उसमें दो महीने पहले का अधिकार दिया है तो क्या दिक्कत है दुबारा अगर वे बनाई गईं? दुबारा चुनाव कराने में भी कोई विशेष खर्च हो, ऐसी चीज नहीं है। कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है कि राजस्थान सरकार पर पहाड़ टूट कर पड़ जाय जिससे कि सरकार दबने वाली हो। ऐसी चीज नहीं है। यह समझने की चीज नहीं है कि कानून बन गया। इसकी कोई चिन्ता नहीं कि पंचायतें गलत काम कर रही हैं तो रद्द करने का अधिकार है। पंचायतों में अव्यवस्था फैल रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था कि दो एमेंडमेंट पेश हुए हैं, उनमें से एक एमेंडमेंट तो उनका मान लिया है; तो फिर आगे क्या बात रह जाती है? आप चाहें तो ये लफ्ज़ रख लिये जांय।

श्री भैंरूसिंह—मैं केवल यह विश्वास चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले की कद्र करेंगे या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एमेन्डमेंट के मुताल्लिक जो कुछ भी बात हो, वह कहें। जनरल डिस्कशन फिर शुरू हो गया।

श्री भैंरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, धारा ८६ में जो संशोधन आया है वह धारा ६३ में जो संशोधन है वे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको अलग २ नहीं सोचा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—But then the Hon'ble Member will have to limit himself to the scope of the amendment on the particular section.

श्री भैंरोसिंह—मेरा एमेन्डमेंट बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा ८६ के एमेन्डमेंट को रद्द किया जाय।

उस धारा में-"at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat circle, village or area" विलोपित किए जायेंगे तथा सदैव विलोपित किये हुए समझे जायेंगे। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह दायरे के अन्दर है।

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत जो पंचायतें बनाई गई हैं, कल डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक भी कहा है कि यह कानून की बात है, उसे बारीकी से देखना पड़ेगा, मोटे रुप से देखने में पता नहीं लगेगा। उन्होंने बारीकी से देखा या मोटे रुप से देखा, वह तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है जो कुछ इस धारा में कल, उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था, कल कि उसमें खामी थी तो उस खामी को दूर करने के लिए सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उससे पता चलता है कि कौन कानून के इन्टरप्रिटेशन को समझता है और कौन नहीं समझता है। उसी बात की आड़ रहती है तो फिर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

अन्त में केवल एक बात कह कर बैठूंगा कि इस सदन में जो गलत परम्परा डाल रहे हैं जो कि कई दफा माननीय मुख्य मंत्रीजी से सुनने को मिली है, अन्य मन्त्रियों से भी सुनने को मिली है, अच्छे अच्छे नेताओं से सुनने को मिली है कि सदन में स्वस्थ परम्परा डालना है और प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को स्वस्थ बनाना चाहिये.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनरल डिसक्शन क्या है ?

श्री भैंरूसिंह—अन्त में एक बात कहूँगा कि इन चीजों को लेकर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की कार्यवाही को रिट्रो-

[श्री भैरूसिंह]

स्पेक्टिव इफेक्ट देकर गलत कानून को सही बनाने की कार्यवाही इस सदन के द्वारा होती है बहुमत की ओर से तो इसका विरोध करने के लिए जितने भी स्वस्थ हथियार हैं, जितनी भी स्वस्थ बातें हैं वे सदन में करनी होंगी। वे करने के लिए तैयार रहें ताकि सरकार बहुमत के आधार पर अधिकार को नहीं छीन सके। जो कि स्वस्थ परम्परा की बात आप करते हैं तो आप स्वयं गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह कह कर मैं खत्म करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, सेक्शन ८६ के सिलसिले में मेरा अमेंडमेंट बहुत साफ है। जैसा कि मैंने जनरल डिबेट के वक्त कहा था कि यह एक इनेबलिंग क्लॉज है कि ८६ में जो कुछ अधिकार पहली पंचायतों को, पंचायतों के निवासियों को, नये आने वाले निवासियों को अधिकार हैं उनको करटेल नहीं किया जाता बल्कि उनके साथ साथ अधिकार गवर्नमेंट में निहित किया जाता है कि गवर्नमेन्ट चाहे तो एक पंचायत के सिलसिले को कमी-बेशी कर सकती है। तो मैं निवेदन करूं जैसा कि बहुत जरूरी है, सरकार में ये सारी पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अख्त्यार रहता है, यह बहुत जरूरी है कि सरकार में ऐसा अधिकार हो। यदि किसी पंचायत के लोग नहीं कहते हैं, गांव वाले नहीं कहते हैं और सरकार यह जरूरी समझती है कि पंचायत इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर या और किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर या स्वयं, कि अमुक पंचायत में रद्दोबदल करें तो कर सकती है। इसके लिये अगर यह प्रोवीजन रखा जाय कि सरकार पंचायत को या ग्राम वालों को, किसी को कहे कि इस प्रकार के रद्दो बदल की रिपोर्ट करें और फिर उस रिपोर्ट पर रद्दो बदल करें तो यह उचित नहीं।

जैसा कि कल ऑपोज़िशन के कुछ मित्रों ने कहा कि यह जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है इससे पंचायतों के रहने वालों, ग्राम के रहने वालों के अधिकारों को खत्म किया जाता है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि जिस परिस्थिति में यह मौजूदा अमेंडमेंट है उसको तो खत्म कर दिया जाय और इसको अमेंड करते हुए नया अमेंडमेंट यह लाया जाय कि ८६ क्लॉज में जहां पर कि ये वर्ड्स हैं :

" The state Government may at any time after one month's notice published in the prescribed manner at the request of the panchayat or of the resident of any panchayat circle. village or other area......"

तो इसमें मैंने यह निवेदन किया है कि:

" And sub-section (1) after the words ' prtescribed manner' the words' either on its own motion or' shall be inserted."

यह मैंने इसमें इन्सर्ट करनेका अमेंडमेंट किया है।

[श्री श्रीदास गोयल]

"Either on its own motion or at the request of the panchayat" इससे पोजिशन साफ हो जाती है। और यह इनेवलिंग क्लॉज़ है और इससे जो मित्रों को खतरा होता है कि ८६ में ऐसा प्रोविजन है; सरकार के अधिकार में रख देने से इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह निवेदन करूं कि यह ऐसा खतरा है जो उचित नहीं है। जो कुछ एरिया इन्क्लूड एक्स्क्लूड होगा, जिस तरीके से इन्क्लूड एक्स्क्लूड होगा उसी तरीके से होगा, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ८६ में यह नहीं है। ८६ तो जनरल पॉवर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने की है। इन्स्पेक्टर या दूसरे अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर एक महीने का नोटिस देने के बाद में ऐसा हेर-फेर कर सकती है।

कितना न्यायप्रिय अमेंडमेंट है? इक्विटी और जस्टिस पर निर्धारित है यह। इस पर मेरे मित्र कहें कि मेजोरिटी के आधार पर ऐसा अमेंडमेंट लाया जाता है, यह उचित नहीं है।

६३ का जो अमेंडमेंट है उसका जरूर हाई कोर्ट के फैसले से ताल्लुक है, जिसका कि बर से ताल्लुक है; ६३ (२) में रीकांस्टीट्यूट वर्ड नहीं है, इसलिये बर में ६ गाव शामिल कर दिये गये, इसके मुतल्लिक मैं फिर कहूँगा जब सेक्शन ६३ आयेगा। इस समय यही अर्ज करूंगा कि जो मेरा अमेडमेंट है उसे स्वीकार किया जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, अभी सदन के सामने दो संशोधन पेश किये गये। एक अपोजिशन की तरफ से और दूसरा गवर्नमेंट बेंचेज़ की तरफ से ही मैं कहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट स्पोंसर्ड अमेंडमेंट है; हालां कि मन्त्री महोदय द्वारा पेश नहीं किया गया है।

तीन-चार दिनों से इस बिल पर बहस चली है। गवर्नमेंट द्वारा इस पर जोर दिया जा रहा है कि ८६ और ६३ बिलकुल मुख्तलिफ सेक्शन्स हैं और एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन ये तो मैं समझूं कि मन्त्री महोदय के व्यक्तिगत रूप से विचार हो सकते है। कल बहस के दौरान में माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं फरमाया जब कि सरकार की तरफ से एक माननीय सदस्य ने पूछा कि यह जो ऐसी गलती सरकार के अधिकारियों द्वारा रखी गई है उसको क्या सजा दी गई? तो उन्होंने कहा कि यह तो इन्टर प्रिटेशन का सवाल है। अधिकारियों की कोई गलती नहीं हुई, सरकार किसी को सजा नहीं दे सकती। इन्टरप्रिटेशन एक अदालत किसी तरह करती है तो दूसरी किसी और तरह करती है।

तो ८६ और ६३ जो हम विरोधी पक्ष में बैठे हुए है, जितना ज्यादा गौर से इन दोनों क्लॉज़िज़ को देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों इन्टर एलिआ हैं, इनको हटा दिया तो इस एक्ट में जान ही नहीं रहेगी। माननीय मन्त्री महोदय और गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि यह बिलकुल अलग सवाल है। यह इन्टर प्रिटेशन का सवाल है। गवर्नमेंट का इन्टर-प्रिटेशन भी गलत हो सकता है। गवर्नमेंट ने कहा; वह वेद वाक्य है और वेद भले ही बदल सकते हैं पर गवर्नमेंट का कहना गलत नहीं हो सकता; यदि ऐसा दावा रखते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना। पर हम समझते हैं

Page No.38

[श्री श्रीदास गोयल]

कि जैसे हम मानव हैं और गलती करते हैं उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ बैठने वाले और उनके स्पोक्समैन हैं वे भी गलती कर सकते हैं, तो हम उन्हें ऐसी ताकत दे दें जिससे जनता पर हमारे दृष्टिकोण से बहुत अन्याय हो जाय तो यहां प्रजातन्त्र में, डेमोक्रेसी में जो उनका रोल है, स्थान है उससे च्युत होंगे और उनको चेतावनी नहीं दें कि ऐसी महत्व की बात को जो वे कहें वह मान लें।

हमें विश्वास है कि ये दोनों सेक्शन्स एक दूसरे से मिली हुई हैं और एक का असर दूसरी पर पड़ता है और दूसरी का असर एक पर पड़ता है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार साफ तौर पर यह करने जा रही है कि जो जोधपुर में पंचायतों के चुनाव हुए और उन चुनावों के विरूद्ध हाई कोर्ट में मामला ले जाया गया और हाई कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध फैसला किया, उस फैसले को इस संशोधन से वापिस उलटाना चाहते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करना चाहते हैं; यह बात स्पष्ट है। अगर यह बात नहीं है तो मन्त्री महोदय कह दें कि पंचायतों के चुनाव दुबारा होंगे।

श्री मथुरादास माथुर--आपने अपनी राय बदल ली मालूम पड़ती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मान कर दुबारा इलेक्शन करवाने चाहियें। यह जो कहा जाता है कि दुबारा इलेक्शन करवाने में कितना खर्चा पड़ेगा तो अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें सरकार को कितना खर्चा करना पड़ा? यह तो ठीक नहीं कि जो गलती की गई उसको बनाये रखने के लिये हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सरकार किसी न किसी तरह रद्द करना चाहती है। मगर हम कहते हैं कि यह जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जिसको हम नहीं करने देंगे, जहां तक हम कर सकेंगे।

आज तक तो यह था कि कोई भी विरोधी पक्ष की ओर से अच्छी सलाह दी जाती तो यह समझा जाता कि यह ट्रेप तो नहीं रखा जा रहा है, यह अच्छी सलाह क्यों दी जा रही है, कहीं फंसा नहीं लें?

यही बात अभी तक हमारे देखने में आ रही है। आप वाकई में अपने दिल में यह जानते हैं कि जो सुझाव विरोधी दल की तरफ से आ रहा है वह बहुत ठीक है लेकिन आप उसको यह समझ कर कि कहीं न कहीं ट्रेप में न फसादें, इसलिए उसे मंजूर नहीं करते और नहीं मानते। जहां तक मेरा ध्यान था वह यही था कि आप विरोधी दल पर विश्वास नहीं रखते लेकिन अब मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है कि अब जनता पर भी आप विश्वास नहीं रखने लगे हैं। अब जो आप एमेंडमेंट रख रहे हैं इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि पब्लिक अपने हितों के लिए अगर कोई काम करना चाहती है तो उस पर भी हमें भरोसा नहीं है। इसलिए जो पहले अमेंडमेंट पेश किया गया अब उसके लिए आप कहते हैं कि हम उसे वापिस ले रहे हैं और उसके वापिस लेने से श्री भैरूंसिंहजी के अमेन्डमेन्ट की कोई जरूरत नहीं रहती। श्री गोयलजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

उससे सरकार का मतलब सिद्ध हो जाता है। अमेन्डमेंट में जो शब्द हैं वे ही रहते हैं; मगर दो--चार शब्द ऐसे लाना चाहते हैं कि जिससे उनका होना न होना कोई माने नहीं रखता। गोयलजी के अमेन्डमेंट से सरकार का मतलब सिद्ध हो जाता है। हम यह चाहते हैं कि इससे जन-हित नहीं होने वाला है, इसलिए इसको पास नहीं होने दें। अगर ऐसा होगा तो पब्लिक का विश्वास उठ जावेगा। अगर एक गांव की पब्लिक या ग्रूप ओफ विलेजेज की पब्लिक यह चाहती है कि उनके क्षेत्र में कोई बढ़ाई या घटाई नहीं होनी चाहिए और यह बात होनी चाहिये तो मैं समझ नहीं सकता कि मेरे यह मित्र मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूँगा कि पब्लिक जो खुद कार्य करना चाहती है उनको स्वतः सरकार बदल दे, इससे उनका क्या आशय हो सकता है ? अगर वे इसका कुछ उत्तर दें तो मैं कहूँगा कि वे ऐसी बात क्यों चाहते हैं। अगर गांव यह चाहता है कि उनके क्षेत्र ऐसे ही रहें तो सरकार को उनके क्षेत्रों में रद्दोबदल करने से क्या फायदा होगा ? जब वहां की जनता यह कहती है कि उनके लिए वही क्षेत्र ठीक हैं तो फिर सरकार को कौनसा सिर दर्द हुआ कि २० मील दूरी पर जो गांव हैं उन गांवों को भी उनके साथ मिला दें। अगर यह पोवर्स सरकार को दे दी गई तो जनता का कोई हित नहीं होगा और श्री गोयलजी ने जो संशोधन रखा है उससे सरकार को वही पोवर्स मिल जावेंगे और सरकार का मकसद पूरा हो जावेगा और जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिन गांवों के लोगों ने रिट किया उनको इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी लिए उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर उस अन्याय को हटाने के लिए प्रार्थना की और न्यायालय ने उनको न्याय दिया और न्याय दिया और अन्याय को हटाया। अब सरकार नये संशोधन लाकर बेक डेट से इसको लागू करना चाहती है और इससे जो सरकार करना चाहती है वह यह कि इस फैसले का इफेक्ट न हो। इस संशोधन से जो गोयल साहब ने रखा है सरकार का मतलब हल हो जाता है। हमारी मारवाड़ी में यह कहावत है कि गुड़ देने से मर जाता है उसको विष, जहर क्यों दिया जाय ? हमारे माननीय एक सदस्य यह फरमाते हैं कि ये शब्द तो रख दें। ये शब्द स्पष्ट हैं, जो एक बहुत अच्छे वकील हैं। यह उनकी चतुराई समझिये। यह हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ये विष देकर नहीं मारना चाहते और गुड़ देकर मारना चाहते हैं और अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—यह आपकी चतुराई है कि आपने इसको समझ लिया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपकी ही सोहबत से ऐसा हो गया है। हम चाहते हैं कि वह मतलब सिद्ध न हो। यह बहुत खतरनाक बन जाता है और इसलिये बन जाता है कि हमें हमारे माननीय मंत्री के मुंह से सुनने को मिलता है कि वे न्यायप्रिय हैं, सत्यप्रिय हैं, मगर फिर भी जो कार्य इस महकमे में होता है इससे हमें डर इस बात का लगता है कि अगर सरकार के हाथ में इस प्रकार का हथियार दे दिया गया तो......

श्री अध्यक्ष—यहां हथियार का प्रश्न कहां आ जाता है।

Page No.40

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर ऐसा होगा तो सूबो मोटो सरकार को यह हथियार दे दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में ज्यादतियां होती हैं। आप मानें, न मानें हमारे पास सुबूत हैं। अगर माननीय अध्यक्ष चेअर में नहीं होते तो मुझे उस सुबूत को कहने का मौका मिल जाता। मेरे पास दो-चार ऐसे सुबूत हैं......

श्री अध्यक्ष—You wish me to leave the chair ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I wish that you will not listen me for a few minutes.

मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि तहसीलदारों के हुक्म हैं। सरकार द्वारा खुल्लम खुल्ले दो चार लेटर्स हैं जिससे यह साफ जाहिर होगा। यह तो उनका महकमा है; करना चाहें तो करें। हमतो कहीं कहीं जाते ही नहीं; न किसी की सिफारिश ले कर जाते हैं। जो कुछ कहना होगा साफ कहेंगे। अगर इसके लिये लड़ना है तो लड़ेंगे। न तो किसी के काम के लिएगये हैं न स्वयं का काम कराया है और न करावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जानकारी के लिए हाजिर होऊंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वे कुछ भी समझें, मगर उनके महकमे में अन्याय हो रहा है। वे इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहते हैं और न कुछ कर ही सकते हैं और न कुछ कर ही रहे हैं। अगर यह ताकत उनके हाथ में दे दी गई कि पब्लिक न कहे तो भी ताकत अपने हाथ में ले लें और पब्लिक की इच्छा के विरुद्ध कार्यवाही करें; इस प्रकार का अख्त्यार हम सरकार को देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका बहुमत है। अगर बहुमत के आधार पर वे इसको पास करना चाहें तो भले ही कर सकते हैं, लेकिन विरोधी दल का जहां तक सिद्धान्त है वह यही है कि ऐसा अनुचित कानून पास नहीं होने देगी और हम पब्लिक की जिस प्रकार भी रक्षा करना चाहते हैं करेंगे और इस संशोधन को जो श्री गोयलजी ने रखा और पहले सरकार ने रखा और अब उसको दूसरे रूप में बदलना चाहती है मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन शब्दों में श्री भैरूंसिंहजी ने संशोधन पेश किया है, हालां कि गोयलजी के बाद में नहीं आ सकता क्योंकि उसका कोई अभीप्राय नहीं रहता। इसलिये मैं श्री गोयल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और श्री भैरूंसिंह जी ने जो संशोधन दिया था उसका जो अभिप्राय है वह भी नहीं रहता। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं जो जैसा एक्ट है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष; मैं श्री श्रीदासजी गोयल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि बर में जो गड़बडी हुई है उसको सही किया जाना चाहिये।

("हियर हियर" की आवाज विरोधी दल की ओर से)

[श्री भोलानाथ]

यह एक दुख की बात है कि अन्याय उनके साथ हुआ और अन्याय के लिये हाई कोर्ट ने फैसला दिया और फिर उसको सही करने की आवश्यकता है तो उसको सही क्यों नहीं किया जावे। असली बात जो सरकार के सामने आ रही है वह तो सरकार ने मन्जूर कर ली और वह यह कि गांव वालों की मर्जी के खिलाफ पंचायतों में और क्षेत्र नहीं मिलाया जावे। यह बेसिक कारण मन्जूर कर लिया क्योंकि वे लोग हाई कोर्ट में गये; जब उनको यह न्याय मिला कि गांव वालों ने जो शिकायत की वह दुरुस्त थी और उनकी असल बात को मान लिया गया है जिनको गांव वाले मनवाना चाहते थे। जिसको हाई कोर्ट ने मान लिया और जो एमेंडमेन्ट इस पर आया है उसको सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार है। अगर कोई पब्लिक की तरफ से शिकायत आवे तो उसे मानी जावे तो कोई वजह नहीं पायी जाती है कि जिस पर इस प्रकार इतनी डिबेट की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों की ओर से इस प्रकार की शिकायतें आवेंगी कि नोटिस नहीं दिया गया है तो उनको सुनकर दुबारा चुनाव करा दिये जावेंगे; लेकिन चूंकि १६०० ही पंचायतों का चुनाव वापिस करना पड़ेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता, जो रिलीफ लेना चाहते है फैसले के द्वारा उनको रिलीफ क्यों नहीं देना चाहते; इसमें क्या शंका है और क्यों होनी चाहिये ? अगर इस प्रकार का आश्वासन दे दिया जाता है तो काम ठीक हो जाता है। जहां एतराज पैदा हुआ है उसके लिए अमेंडमेंट है और अगर इस प्रकार का एतराज नहीं होता तो इस प्रकार का मौका ही नहीं मिलता और अगर सरकार के नोटिस में आ जाता तो सरकार खुद ही कर लेती। लेकिन जब ऐसा हो गया है तो उनको इस प्रकार का आश्वासन देने में क्या दिक्कत हो सकती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस प्रकार का आश्वासन दें ताकि डिबेट आगे न बढ़े।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, दातारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं

श्री अध्यक्ष—वे संशोधन को मन्जूर करते हैं।

श्री भैरूसिंह—इसके साथ-साथ वे दूसरा भी मन्जूर करते हैं।

श्री शम्भूसिंह—जो सवाई माधोपुर से जाने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसके विपरीत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह लिखा है कि गवर्नमेन्ट या तो अपनी दुख की स्वेच्छा से या व्यक्तियों की इच्छा से उसमें परिवर्तन कर दे, तो मान लिया जाय कि वहां के व्यक्तियों की दरख्वास्त यह है कि इस क्षेत्र की लम्बाई-चौड़ाई में, विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे और गवर्नमेंट यह चाहती है कि परिवर्तन किया जाय तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जायगा। इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जायगा गवर्नमेन्ट की इच्छाओं में और लोगों की इच्छाओं में। स्थानीय व्यक्तियों की इच्छा कुछ और है और गांव वालों की इच्छा कुछ और है; तो यह प्राकृतिक रूप से कॉन्फ्लिक्ट हो जायगा और उसके लिए क्या इलाज है ? उसके लिए कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Why ? It it very clear.

" The state Government may at any time publish in the prescribed manner at the request of the panchayat of the residents of the panchayat circle, village or area, and ......

by notification in the Rajasthan gazettee may exclude, include or transfer any area......"

So the ultimate power is with the Government. It is not with the panchayat applying.

रावत श्री शंभूसिंह—मेरी शंका तो फिर भी यही है कि स्थानीय निवासी कुछ और चाहते हैं और गवर्नमेन्ट कुछ और चाहती है।

श्री अध्यक्ष—वह हो थोड़े जावेगी। गवर्नमेन्ट करेगी तब होगी।

रावत श्री शंभूसिंह—इसमें स्थानीय निवासियों की और गवर्नमेन्ट की इच्छाओं में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है तो माननीय मन्त्रीजी से आश्वासन दिला कि दें वहां के निवासियों की इच्छाओं को सर्वोपरी माना जायगा।

श्री भोपालसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है और आपने जो चतुराई बताई है उसके लिए विरोध में बोलते हुए अर्ज करूंगा कि यहां पर जो चुनी हुई सरकार आयी है उसकी चतुराई बता कर जनता के हितों पर कुठाराघात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहां साफ भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। यहां जितनी बहस हुई है वह हमारे मौजूदा मंत्रीजी की वजह से है, पहले वाले मंत्री होते तो हम कभी इस बात पर जोर नहीं देते क्योंकि वे तो कानून कैसा ही होवे अपनी मनमानी-धांधली करने वाले थे इसलिए जब तक सरकार में धांधली चले तो कानून कैसा ही बनाया जाय कौन सुनवाई करे। मगर चूंकि यह न्यायमूर्ति हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं और अब अगर कानून ठीक रहेगा तो काम में भी ठीक ही तरह लाया जावेगा। इसलिए चूंकि आप हैं और इसीलिए न्याय मिलने की दृष्टि से इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए और जो पहले वाला कानून है वही होना चाहिए। मौजूदा जो मंत्री हैं उनसे उम्मीद होती है कि जो चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं उनको दुरुस्त किया जायगा। जो चुनाव पहले कराये गये हैं उनमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए माननीय मंत्रीजी आश्वासन देते। आपको हम बतलावें कि जहां जहां गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाय और फिर पंचायत, तहसील पंचायत का चुनाव कराया जाय। लेकिन गलतियों को जैसी की तैसी रख कर आप अपना मतलब हल करना चाहते हैं और वह हम नहीं करने देना चाहते यही हमारी खास मांग है। इसलिए हमको यह आश्वासन दिला दिया जाय कि गलतियां जहां जहां पायी जावेंगी और आप स्वयम् उनको मान लेंगे

[श्री भोपालसिंह]

कि यहां यहां गलतियां हुई हैं तो उनको दुरुस्त किया जायगा। आप नहीं मानेंगे तो हम नहीं कहेंगे कि आप उनको मानेंगे ही लेकिन जब आप उनको मान लेंगे तो फिर आपको आश्वासन देने में क्या अड़चन है लेकिन आप आश्वासन भी नहीं देते और चाहते हैं कि जैसा भी कानून हम बनावें उसकी हां में हां मिला दें; यह संभव नहीं। गलतियां दुरुस्त नहीं होती है तो आप जैसा भी चाहें हम उसको मंजूर नहीं कर सकते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार करता हूँ। अमेन्डमेन्ट्स की खिलाफत करते समय एक बात यह कही गई थी कि हाई कार्ट के जजमेंट का अपमान किया जा रहा है। उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता देने के लिए ही यह अमेन्डमेन्ट बिल लाया गया है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि यह इन्टरप्रिटेशन की गलती हुई और उसको दुरुस्त करने के लिए यह किया जा रहा है; उस फैसले का अमल किया जा रहा है।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि उनका चुनाव दुबारा कराया जायगा, जैसी हाई कोर्ट की मंशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट ने यह कहा कि इन्टरप्रिटेशन की गलती हुई और उस गलती को दुरुस्त करने के लिए यह किया जा रहा हैं। हाई कोर्ट के फैसले का अपमान तो तब होता जब कि हम उसको नहीं मानते। उनके फैसले के अनुसार यह कार्यवाही की गई है।

जहां तक अमेन्डमेण्ट्स की बात है मैं आपसे निवेदन करूं कि सारे हिन्दुस्तान में और भारत के विधान में भी है कि इस प्रकार का मतलब आये तो उसको अमेन्ड किया जाय। अब सवाल यह है कि अब जो अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं वह गलत है या सही है। जैसा आपने फरमाया उसके लिए अर्ज करूंगा। एक बात यह कही गई कि जनता से गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है इसलिए यह अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। दूसरी बात यह कही गई है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है और तीसरी बात यह कही गई कि सरकार उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहती है तो उसके लिए आश्वासन क्यों नहीं देती ?

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने भी पढ़ा था और मैं भी पढ़ देता हूँ कि, "The State Government may at any time after one month's notice."

एक बात यह है उनकी "One month's notice, if necessary, publish in the prescribed manner at the request of the Panchayats or the residents of the village

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

or area and by notification in the Rajasthan Government include any area, exclude any area from the Panchayat Circle, transfer any area to the Panchayat circle............"

इसमें तीन बातें जरूरी हैं। मौजूदा सेक्शन में तीन बातें हैं। दरख्वास्त होनी चाहिए पंचायत की या पंचायत के सर्किल के रहने वालों की। दरख्वास्त आने के बाद सरकार ठीक समझे तो सरकार एक महीने का नोटिस देगी और गजट में शाया करेगी कि यह हम करना चाहते हैं, किसी को क्या आपत्ति है, हर एक आपत्ति को सुनने के बाद गवर्नमेंट फैसला करेगी कि एरिया एड करना चाहिए या नहीं। हमने तरमीम की थी वह यह है कि गांव वालों की दरख्वास्त पर ही नहीं लेकिन गवर्नमेंट की ओर से भी कोई बात ऐसी ध्यान में आवे कि यह एरिया गलत है तो उसको दुरुस्त किया जायगा। मैं इस सम्बन्ध में आपसे अर्ज करूं कि सदन के सदस्य भी कहें कि ये एरिया गलत लगे हुए हैं या सदन का प्रस्ताव हो या गवर्नमेंट के नोटिस में आये तो उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके लिए नोटिस जारी करेगी गवर्नमेंट और उसके लिए क्या आपत्ति हो सकती है? इन शब्दों के निकाल देने से, जनता क्या चाहती है और गांव वाले क्या चाहते हैं उसके लिए फिर भी उनको ये अधिकार रहते हैं। लेकिन यह कहना कि जनता में विश्वास नहीं करते हैं, यह बात ठीक नहीं हैं।

जब एक महीने का नोटिस दिया जायगा तो उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से मनमानी कैसे कर सकेगी? जैसा कि यह सेक्शन रह जाता है अमेन्डमेन्ट द्वारा हम यही बात और इतने ही शब्द और जोड़ना चाहते हैं। यह आवश्यक क्यों प्रतीत हुआ इस विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। अभी अभी जागीरों के पुनर्ग्रहण से बहुत सी जगह नयी तहसीलें कायम हुई हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि एक तहसील पंचायत के गांव इधर उधर बंट गये। तो जिस एरिया से निकल कर जो गांव दूसरे एरिया में चले गये वे उस क्षेत्र की पंचायत के लिये वोट दे नहीं सकते जब तक हम उसको ठीक तरह से तहसील वाइज़ नहीं कर देते हैं तब तक वे अपनी राय नहीं दे सकते।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कांन्स्टीट्यूएन्सीज़ कायम हुई हैं कि एरियाज़ के डिमार्केशन ऐसे गांव जो दूसरी तहसील में चले गये तो वे वोट नहीं दे सकते। आप पंचायतों की दरख्वास्त पर पंचायतें फ्रेम नहीं करना चाहें तो मुझे इसमें कतई आपत्ति नहीं लेकिन जो एरियाज़ गलत हो गये हैं तो उनको ठीक करने में गवर्नमेंट किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती जब कि उसके पास ये अधिकार नहीं। मान लिजिये एक पंचायत क्षेत्र है उसके लिये ये मान लीजिये उस पंचायत के गांव वाले कोई दरख्वास्त नहीं देते और दूसरी पंचायत वाले यह कहते हैं कि वे गाव जो उस पंचायत मे आ गये हैं हमें दे दिये जांय। दूसरी पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार नहीं कि जो गांव दूसरे क्षेत्र के अधिकार में हैं उनको अपने क्षेत्र में मिलाने के लिये दरख्वास्त दें। मान लीजिये गांव वाले की दरख्वास्त पर यह होता है कि पहले क्या करना पड़ेगा; कि यह देखना होगा कि वह गांव वाला जिसने

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दरख्वास्त दी है वह उस क्षेत्र का रहने वाला है या नहीं, इस प्रकार की इन्क्वायरी कराने के लिये उस दरख्वास्त को भेजना पड़ेगा तहसीलदार के जरिये या पंचायत ऑफिसर के जरिये, उस विषय में मालूमात करवानी पड़ेगी। अभी का एक किस्सा सुनाऊं, किसी व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट के नाम से एक दरख्वास्त भेज दी। उसमें लिखा कि फलाँ आदमी का काम खराब है इसलिये इसको यहां से हटा दिया जाय। उसमें दस्तखत थे जो फरजी थे; दर असल जब मालूम किया गया तो उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं था। तो दर असल में आपने कहने के अनुसार कि उस एरिया के रहने वाले के दरख्वास्त पर ऐसा हो जाय तो यह भी हाई कोर्ट में चेलेन्ज होगा। इस तरह का रखने से कानून कॉम्पलीकेटेड हो जायगा। जब आप खुद कहते हैं कि शिकायतें बहुत हैं तो जब तक आप इस प्रकार के पॉवर्स गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो उसको क्या अधिकार है कि वे इन शिकायतों को दूर कर सकें इस तरह का अमेन्डमेन्ट जब तक धारा ८६ रहती है नहीं कर सकते। जहां तक जनता का सवाल है उसका नोटिस जारी होगा उनकी शंकायें सुनी जायंगी, इसलिये जनता के अधिकार लेने की बात नहीं हो सकती। अगर आप यह नहीं देते हैं तो भी डिसीजन लेने का गवर्नमेंट को अधिकार है गवर्नमेंट नोटिस जारी करेगी। आखिर फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी। यह बातें करना कि जनता को अधिकार नहीं दिये गये, हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता नहीं दी गई ऐसी बातें इसके अन्दर नहीं हैं। मैं निवेदन करूं इस बारे में कि जो फैसला हुआ है उसमें यह कहा गया गया है कि धारा ९३ के भाग में जो शब्द रिकोन्स्टीट्यूट लिखा हुआ है, जिससे यह गलतफहमी पैदा हो रही है। सेक्शन ९३ जो है जिसकी हैड लाइन "Repeal and savings"; उसमें यह कहा गया "All laws in force in any, part of Rajasthan...are hereby repealed."

पुराने कानून सब खतम हो गये।

दूसरी बात यह कही गई है कि पंचायत कानून के लागू होने के पहले जितनी भी पंचायतें कायम थीं वे बदस्तूर रहेंगी।

तीसरी बात रिकोन्स्टीट्यूट करने का गवर्नमेन्ट को राइट होगा। यह तो सारा सेक्शन उन पंचायतों पर लागू होगा जो मौजूदा कानून आने के पहले कायम थीं। उसके बाद में जो भी पंचायतें आईं उनके लिये यह नहीं। हाई कोर्ट ने रिकोन्स्टीट्यूट का मतलब पुरानी पंचायतों के मुतल्लिक लगा लिया, वह एरिया इन्क्लूड कर लिया जाय। इसके लिये उन्होंने कहा कि इसकी जगह ये शब्द होने चाहिये एबोलिश रिएस्टेब्लिश। गवर्नमेन्ट ऐसा ही कर रही है। रिकोन्स्टीट्यूट का मतलब रिइलेक्शन है। तो इस रिकोन्स्टीट्यूट के आधार पर जो सैकड़ों तहसील पंचायतें बन गईं उन्हीं के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के इलेक्शन होने वाले हैं। मान लीजिये शिकायतें दस बीस या सौ होंगी, लेकिन हमें इसके कारण चुनाव १६०० पंचायतों के फिर से कराने पडेंगे। १६०० पंचा-यतें जिस आधार पर बनी हुई हैं उसी तरह तहसील पंचायतें भी हैं। तो जो तहसील पंचायतें हैं उन्हीं के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो यह इस तरह से होगा कि अगर पंचायत राज को

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

ही खत्म करने की मन्शा हो तो बात दूसरी है। लेकिन ऐसी आपकी मन्शा नहीं। धारा ८६ के बारे में जो हाई कोर्ट ने लिखा है गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर सकती थी लेकिन चूंकि नहीं किया गया, हाई कोर्ट ने लिख दिया विलेज की दरख्वास्त पर कर सकते हैं इसलिये हमें इसमें अमेन्डमेन्ट करना आवश्यक प्रतीत हुआ। इस तरह का प्रोवीजन जैसा कि हमने इस धारा ८६ में किया है वैसा प्रोवीजन हिन्दुस्तान के किसी भी पंचायत कानून में नहीं है जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह नोटिफिकेशन निकाल कर चाहे जिस एरिया को मिला सकती है या निकाल सकती है। यू. पी में भी सुओ मोटो और उनकी दरख्वास्त पर भी कार्यवाही कर सकते हैं। कुछ स्टेटों में ऐसा है कि गवर्नमेन्ट नोटिफाई करके हेर-फेर कर सकती है और पंचायतों की दरख्वास्त पर भी हो सकता है। सारे हिन्दुस्थान के पंचायत एक्ट में किसी में भी इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं जो कि हम करने जा रहे हैं।

श्री भोपालसिंह—आपके कहने के मुताबिक किसी जगह ऐसा कानून नहीं है तो कहीं यह भी नहीं होगा कि एक एरिया को इधर-उधर कर दिया जाय या जहां कम आबादी है वहां ज्यादा पंच मुकर्रर कर दिये जांय, जहां ज्यादा हैं वहां कम। राजस्थान में जब इस प्रकार की धांधली हुई है तब यह कहा जा रहा है।

श्री बद्री प्रसादगुप्ता—(जारी रखते हुए)

आपकी शिकायतों पर विचार किया जा सके, उसी के लिये तो गवर्नमेन्ट यह अधिकार लेना चाहती है। अगर सारा सदन यूनेनिमसली इस बात को कह दे कि गवर्नमेन्ट को इस प्रकार के अधिकार नहीं रखने चाहिये तो मैं इसको ड्रोप कर दूंगा। दिन रात जो शिकायतें सरकार के सामने आती हैं, आप लोग भी इस सदन में इन बातों का जिक्र करते है तो मेरा यह प्रथम कर्तव्य है कि उन गलतियों को दूर करूं लेकिन जब तक आप इस प्रकार का पॉवर हमको नही देते तब तक हम असमर्थ है। आप इस पर दुबारा विचार करें, इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है। आपकी बातों को मान्यता देने के लिये ही यह रखा है। आप लोग यह अमेन्डमेन्ट पास कर देते हैं तो मैं इस बात का पूर्ण अधिकारी हो जाऊंगा कि जो कुछ गलतियां रह गईं वे ठीक हो सकेंगी। आशा है आप लोग इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, बर के लोगों को इससे रिलीफ मिलेगी या नहीं, इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दे दीजिये, यहां १६०० पंचायतों के दुवारा चुनाव का सवाल नहीं। जिनके रिप्रेजेन्टेशन पर यह फैसला हो चुका उनके लिये आप स्पष्ट आश्वासन दें, तो माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जाते।

श्री भैरूंसिंह—आप मेरे संशोधन को मन्जूर करते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरा, मैं निवेदन करूं कि बर की पंचायत में अगर दुबारा चुनाव होंगे तो फिर सारी ही १६०० पंचायतों का भी दुबारा चुनाव होगा।

Page No.47

श्री भोलानाथ—Not necessary.

अगर अमेन्डमेन्ट नहीं करेंगे तो १६०० में दुबारा चुनाव होंगे। हाई कोर्टने अपने फैसले में दर्ज किया है तब तो १६०० का होगा। इसमें अकेले बर का है। तो इसका अकेले का दुबारा चुनाव हो जावे तो हर्ज क्या है?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। जितने ग्रूपिंग कर दिये हैं, ग्रपिंग करने का गवर्नमेन्ट को अख्तियार नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—हर्ज क्या है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—इसलिये कि लिखा है कि ...

"At the request of the panchayat or of the residents of any panchayat circle, village or area",

श्री भोलानाथ—जिन लोगों ने रिप्रेज़ेन्ट कर दिया उनका केस एस्टेब्लिश्ड हो गया है, उनको रिलीफ दे दीजिये। जिन्होंने केस नहीं किया है उनको सेक्शन ६३ से अधिकार मिल जाता है। जिन्होंने रिलीफ मांगा है उसको तो रिलीफ देने का आश्वासन दीजिये। उसमें बुराई की क्या बात है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बर के अलावा और बहुत से लोग हाई कोर्ट में गये है।

श्री भोला नाथ—रिकॉन्स्टीट्यूट शब्द के लिये हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेन्ट को अधिकार नहीं है इसलिये १६०० पंचायतों को मान्यता नहीं दी जा सकेगी। अगर नहीं हो तो बर भी इसमें शामिल है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—कानून अमेन्ड हो जावेगा तो रिलीफ सबको मिलेगा, वरना रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। सबको एप्लाई एक साथ करेंगे। बर का दुबारा हो जावे और बाकी १६०० सौ का नहीं कराया जावे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। सब के लिए इक्वली एप्लाई करेंगे और मौजूदा अमेन्ड हो जावेगा तो भी एप्लाई करेंगे इक्वली।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लीकेशन आता है। श्री भैंरूसिंह का संशोधन स्वीकारकिया जावे। इसमें दो बातें हैं, एक तो संशोधन विधेयक के खण्ड २ का पूर्ण रूपेण विलोप।

(विराम)

इसको तो आप स्वीकार करते हैं। (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से) यह रिटेन होना चाहिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जी हां।

Page No.48

श्री अध्यक्ष—दूसरा और है कि नियुक्त की जावेगी और सदन से नियुक्त हुई समझी जावेगी; यह जो ७ जोड़ना चाहते हैं तो यह भी मन्जूर करने की बात है। इसको मन्जूर करते हैं क्या ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—हां, तो फिर इसका विरोध करिये अंशतः।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—इसके लिए तो मैं समझूंगा कि ७ जो है उसमें तो वे भी ऑपोज नहीं करेंगे।

श्री भैरूंसिंह(वि० स० १६)— मैं तो करता हूँ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—तो इसको तो मैं नहीं मानता हूँ।

अगर मान लीजिये क्लॉज २ है। अगर एरिया चेन्ज होता है तो इसका एरिया चेन्ज होने के बाद की बात है। इसलिये इसके बाद क्या होगा ? अगर एरिया चेन्ज हो गया तो रिइलेक्शन होगा। तो इसको रखना आवश्यक है। इसको तो आप भी ऑपोज नहीं करेंगे।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना पड़ेगा इस पर। मैं ऐसा मानता हूँ माननीय अध्यक्ष, कि न क्लॉज को पढ़ा और न संशोधन मैं चाहता था वह भी पढ़ा गया है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था सारे संशोधन के साथ वह यह था और इसका ज्यादा सम्बन्ध इस पार्ट ७ से है।

"When an order under sub-section (1) has been or is passed and the State Government orders under sub-section (6) the re-election of Panchas to the Panchayat or Tehsil Panchayat for the altered area; it may issue further directions in respect of the number of Panchas which such Panchayat or Tehsil Panchayat shall consist of and in respect of other matters incidental to, or consequential upon, such re-election."

और इसके ऊपर दो लाइनें हिन्दी में लिखी हैं, उसके ऊपर जो शब्द हैं उनका विरोध था।

उपधारा (६) के पश्चात् नई धारा निर्दिष्ट की जावेगी और सदैव निर्दिष्ट की हुई समझी जावेगी।

मुझे तो ताज्जुब हुआ यह सुनकर, जिस वक्त माननीय मन्त्रीजी यह कह रहे थे कि रिट्रो—स्पेक्टिव इफेक्ट का इस धारा ६६ से क्या सम्बन्ध है ? पंचायत का दुबारा चुनाव होगा, यह बाद की

[श्री भैंरूसिंह]

बात है। हम तो धारा ८६ में एक अधिकार देना चाहते हैं। अगर जनता की दरख्वास्त नहीं आई तो पंचों की संख्या निर्धारित करने में अपनी ओर से हस्तक्षेप सरकार कर सकती है। यदि इस प्रकार का केवल अधिकार है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने को तैयार हूँ। पर इसका मतलब यह है कि भाग ७ को समाप्त किया जावे। जो नया बनाने की सोच रहे हैं उसको भी साफ किया जाना चाहिये।

आज मुझे खुशी हुई कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से लोगों ने मांग की कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट......

श्री **अध्यक्ष**—जो सम्बन्धित बात है उसको कहिये।

श्री **भैंरूसिंह**--बिलकुल। पर खुशी की बात है वह कहनी हीं पड़ेगी साहब। जो कुछ हाई कोर्ट के फैसले के कारण जितनी पंचायतें रद्द होतीं हैं उनको रद्द माना जावे, उनका दुबारा चुनाव कराया जावे। इसमें भी बाधा उपस्थित होती है; ऐसी बाधा, जो सरकार केवल बाधा ही समझती है। अगर रास्ता निकाले तो निकल सकता है। न्याय संगत तरीका बताया है। हाई कोर्ट ने उन अधिकारों को उसी प्रकार से बनाये रक्खा। अगर आज पंचायत ने गलती की, अगर इजाजत हो तो उदाहरण से बताऊं ...

श्री **अध्यक्ष**—तो फिर यह तो है सार। आगे का कोन्सीक्वेन्श्यल चेन्ज है वह तो मन्जूर करना पड़ेगा।

श्री **अध्यक्ष**—यह तो बिलकुल कॉन्सीक्वेन्श्यल है।

श्री **भैंरूसिंह**—नहीं, अगर इसे मूल रूप में लेते हैं......

श्री **अध्यक्ष**—But the main amendment is in the body of sub-section (1) "At its own accord", "either on its own accord..."

श्री **भैंरूसिंह**—वह तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो जो शब्द थे उसमें लिखा है ..

श्री **अध्यक्ष**—इसमें ऐसा है कि अगर सब क्लॉज (१) में एरिया को चेन्ज करें और सिलेक्शन का ऑर्डर करें तो पंचों की संख्या में चेन्ज करें। तो इसमें तो आपको ऑपोज नहीं करना चाहिये।

श्री **भैंरूसिंह**—पर इसमें आगे पंचों की संख्या निर्धारित करने की भावना क्या है ? हम पांच से लागू करें।

Page No.50

श्री अध्यक्ष—ज्यादा हो गये होंगे, पांच इन्नोसेन्ट हैं । अगर किसी पंचायत को गवर्नमेन्ट ने चेन्ज कर दिया और उस प्रकार से पंचों की संख्या ज्यादा करने की आवश्यकता हुई तो फिर ।

श्री भैरोंसिंह—मुझे पंचों की संख्या निर्धारित करने, उसमें कमी-वेशी करने में आपत्ति नहीं है; आपत्ति इस बात की है कि हम किसी कानून को नया कानून बनावें और पीछे से करें और इसलिये करें कि हमने जो गलतियां कीं वे शुरु से दुरुस्त की हुई समझी जावें ।

श्री अध्यक्ष—गलतियां इससे रैक्टिफाइड नहीं होंगीं । सब क्लॉज़ (१) का रेक्टिफिकेशन जो होगा आगे वाली क्लॉज़ ३ से होगा ।

श्री भैंरूसिंह—तो मैं दुबारा अर्ज करूं कि इसकी मूल भावना जो है वह यह है कि सरकार ने जो कुछ गलतियां की है वे दुरूस्त अवश्य करें; पर गलती को गलती ही नहीं समझा जावे उस पर सही समझने की सील लगा कर सही समझने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये । इसलिये मेरा संशोधन सही रूप से स्वीकार कर लिया जावे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि यह...

श्री अध्यक्ष—उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसे एन्फोर्स करने में एतराज है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिन एरियाज़ में ट्रान्सफर्स किये गये हैं वहां पंचों की संख्या क्या होगी; उनके मुताबिक होगी । संख्या तो कायम करनी पड़ेगी । यह तो कॉन्सीक्वेंशियल है । एरिया चेन्ज होगा तो वे भी चेन्ज होंगे ।

तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखने से कोई फरक नहीं पड़ेगा ।

श्री भैंरूसिंह—रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है ऐसे कानून में ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो अभी यहां नहीं होगा । होगा तो आयन्दा होगा ।

श्री भैंरूसिंह—आयन्दा होगा, ऐसा तो मानते हैं उसको ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ, नहीं ? इसको वोट पर रखूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वोट पर रख दिया जाय, वोट पर तो रखना ही पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—(७) के अन्दर क्या आपत्ति है ।

श्री भैंरूसिंह—इसमें आपत्ति है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—This is his main objection, as I could understand.

श्री मथुरादास माथुर—यह कानून बनाने का तरीका है।

श्री अध्यक्ष—यह इम्मेटेरियल सा हो जाता है।

श्री भैंरूसिंह—यह एमेंडमेंट जो कर रहे हैं कानून जानने वाले उनकी बात है।

श्री हिम्मतसिंह—वोट लेने की जरूरत नहीं है। एकोमोडेट करने की जरूरत है। फीलिंग है लोगों की।

श्री अध्यक्ष—करते तो हैं।

श्री हिम्मतसिंह—वह कहां कर रहे हैं? गलती हो गई है, उसको दुरूस्त करने की मांग की जाती है।

श्री अध्यक्ष—There is one thing. only the Bar Panchayat can be re-elected and the rest could be...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका बर पंचायत से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—All right. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ के उप खंड (१) के बारे में जो श्री भैंरूसिंह का संशोधन है वह स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के समय राज्य पक्ष द्वारा 'ना' की आवाजें आने पर)

श्री अध्यक्ष—On principal it is admitted, पहले देख लिया था।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन धारा (खंड) २ की उपधारा (उपखंड) (१) पर श्री भैंरूसिंह ने रखा है उदाहरणार्थ,

"At the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat Circle, village or Area."

वे कहना चाहते हैं कि रिमूव कर दिया जाय, एलिमिनेट कर दिया जाय और आप कहना चाहते हैं कि रिटेन किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—जिस सूरत में श्री श्रीदास गोयल का एमेंडमेंट है....

श्री अध्यक्ष— आप विथड्रॉ कर लें तो उनका संशोधन ऐसे ही फेल हो जायगा और श्री श्रीदासजी का एमेंडमेंट रहेगा। चूंकि दूसरा आपका है सब क्लॉज़ (२) में, that will have to be put to vote.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—श्री श्रीदासजी का एमेन्डमेंट सेपेरेटली है।

श्री भोलानाथ—आप उसको विथड्रॉ कर लेंगे तभी होगा।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदासजी का एमेंन्डमेंट सेपेरेटली आयेगा, वह फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जायगा। एक तरफ तो आप एलिमिनेट करते हैं और दूसरी तरफ आप मन्जूर करना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—उसके दो टुकड़े हैं। उस हद तक एक्सेप्टेबल है जिस हद तक श्री दासजी का एमेन्डमेंट है। दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है।

श्री भोलानाथ—जब तक आपका एमेन्डमेंट विथड्रा नहीं होता है तब तक श्री श्रीदासजी का एक्सेप्ट नहीं होता है।

श्री श्रीदास गोयल—नहीं, मेरा एन्मेडमेंट बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष—Order please ! I put to vote. It is very clear and the Hon'ble member should try to follow.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ (२) के सब क्लॉज़ (१) का जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने रखा है कि इस पोर्शन को, "इस सब क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय," एक पोरशन रहे, उस क्लॉज़ में उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री भैंरूसिंह का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब इस सब क्लॉज़ में श्री श्रीदासजी गोयल का संशोधन है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ के अन्तर्गत श्री श्रीदासजी गोयल ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—श्री श्रीदासजी का कैसे रहेगा ? एक तो हम लोगों ने पास कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—आप देखिये । उनका मूल प्रस्ताव है कि जो उपखंड (१) है उसको रिटेन किया जाय । Government wanted to delete these words which Shri Bhairon Singh wanted to retain, by way of negative amendment. That has been retained. so "at the request of the Panchayat or residents of the Panchayat circle, village or area" बाद में श्री श्रीदासजी का अमेंडमेंट है कि "or on its own accord", 'prescribed manner' के बाद में जोड़ा जाय । तो इसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि श्री भैंरूसिंहजी का इस क्लॉज़ के दूसरे भाग को डिलीट करने का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खंड २ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड (२) संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३. इस क्लॉज़ ३ के बारे में I may announce कि श्री भैंरूसिंहजी का एक संशोधन था कि खंड ३ को लोप कर दिया जाय । रूल ६४ (३) के अन्तर्गत ऐसा आता है कि "an amendment may not be moved which has the effect of negative vote" तो इसके अंतर्गत वह संशोधन अस्वीकार कर दिया है । कोई माननीय सदस्य यह न कहे कि मूव नहीं किया है इसलिए मैंने एनाउन्स कर दिया है जिससे कि the Hon' ble Member may not have any misunderstanding.

[श्री अध्यक्ष]

अब क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत श्री श्रीदास गोयल का जो संशोधन है वह मूव किया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, ९३ वह धारा है कि जिसके द्वारा पंचायतों के एरियाज़ में, जो पुराने कानूनों के तावे थी, कमी-बेशी की जा सकती है। इस उपधारा (३) के अन्तर्गत उनको कायम माना गया है। उसका फैसला करने वाली यह धारा ९३ है। लेकिन धारा ९३ केवल रेज़ीडेन्ट्स तक ही सीमित थी, एरियाज़ के एडिशन्स, ऑल्टरेशन्स, एक्सक्लूज़न-इन्क्लूज़न के मुताल्लिक वह इन्कम्प्लीट थी, इसलिये तमाम कठिनाइयां पैदा हुई हैं। हाई कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा लेकिन जैसा कि स्पष्ट है कि अब क्या एक एमेंडमेंट जो सरकार की ओर से पेश किया गया है इस ९३ में सब सेक्शन (२) और सब सेक्शन (४) को एड करते हुए, तो उससे वह तमाम कठिनाइयां कि जो १९०० पंचायतों में केओटिक पोजीशन पैदा करने वाली थीं मिट जाती है और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिये जाने का वहां पूरा प्रोवीजन है? साथ ही इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि ८६ के समानान्तर चलती हैं जैसा कि ९३ के सब सेक्शन (३) में एडीशन के द्वारा चाहा गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि—

"In making a direction for the re-constitution of a Panchayat under sub-section (2) the State Government may order any area to be included in or excluded from the Panchayat Circle of such Panchayat and may issue further directions as to the number of Panchas of the panchayat for the altered area and as to all other matters relating to such re-constitution and re-election of Panchas there to......" इसके साथ ही साथ जब तमाम बातें इन्क्लूज़न्स और एक्सक्लूजन्स के आधार पर कह दी गई हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के सिलसिले में जो बयान किया गया है उसमें यहां तक कहा गया है—

"Notwithstanding any defect or lack of form, procedure, jurisdiction or power and notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order (I) All Panchayats of the category specified in sub-section (2) which have been notified after the commencement of this Act to have been established under section 3 or to have been re-constituted under sub-section (2) of this section shall be deemed to have been re-constituted, as respects their Panchayat circle under sub-section (2) read with sub-section 3 of the section, and"

तो मैं यह अर्ज करूं कि अब इस ९३ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है। जो पंचायतें नई बनने वाली हैं उनके लिए और उनके एरिया को एक्सक्लूड-इन्क्लूड करने के अनुसार प्रोवीज़न रखा है जैसे कि धारा ८६ में प्रोवीज़न है।

जैसा कि पहले कहा गया कि ८६ के प्रोवीज़न उन पंचायतों के लिए एप्लीकेबल हैं जो नई कायम होने वाली हैं। पर ९३ में जिनको जीवित रखा गया है उनको इसी प्रकार जीवन देते रहने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है। तो मैं निवेदन करूं, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय

[श्री श्रीदास गोयल]

ने इन दोनों को बहुत साफ कर दिया है और हमारे मित्रों ने कहा कि इन प्रोवीज़न्स को ८६ के साथ पढ़ा जाय तो सरकार की गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिल सकता है और जो पुरानी पंचायतें इस एक्ट से पहले से काम कर रही थीं, उनको बदस्तूर कायम रख दिया गया है, उनकी दुरुस्ती भी जरूरी है। दुरुस्ती करनी हो तो क्या संभव होगा कि हाई कोर्ट के फैसले से जो पंचायतें रिलीफ चाहती हैं उन्हें मिल सकेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह ८६ और ६३ को पढ़ने से इस प्रकार का रिलीफ देने के लिए साफ हो जाता है। एक्ट हमेशा वही होते हैं, वही बनाये जाने चाहिये जो स्पष्ट हों हर प्रकार का रिलीफ देने में। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करे तो उसको दूर करें और आवश्यक हो तो अधिकारी की चेतावनी दें। तो यह रिडन्डेन्ट वर्ड्स हो जाते हैं।

"Nothing in section 86 shall apply or be deemedever to have applied to such inclusion or exclusion."

तो चूंकि ८६ में पहले से है और यह दुबारा कहा गया है तो, दोनों पेरेलल चल रही हैं, तो यह रिडन्डेन्ट हैं। तो ६३ बिल्कुल साफ हो जायगी और पंचायतों की गड़बड़ियों को दूर करने का इससे अवसर मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उसको सरकार नहीं मान रही है तो फिर इस हाई कोर्ट को बनाने से क्या मतलब, हाई कोर्ट को बनाने की क्या जरूरत थी, जब उसके फैसले को नहीं मानते हैं तो।

श्री अध्यक्ष—आप क्या बोल रहे हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—१६०० पंचायतों का दुबारा चुनाव होता है तो फिर एक महीने बाद पूरी पंचायतें बन जायेंगी। सरकार को चाहिए कि हमारी गलतियों को हाई कोर्ट सुधारता है तो सरकार को ज्यादा खुशी होनी चाहिये कि कोई धारा सभा में बैठ कर एक्ट बना लेते हैं, उसमें गलती हो जाती है। अभी अभी माननीय मंत्री जी ने भैंरूसिंह जी का अमेन्डमेन्ट मान लिया था और भैंरूसिंहजी ने बता दिया इसलिये नहीं हुआ, नहीं तो पास हो जाता......

श्री अध्यक्ष—सुनी हुई बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(कुछ क्षणों के लिए अवाक्)

श्री अध्यक्ष—आप क्या कह गये, आपको पता नहीं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो ऐसी हालत में हाई कोर्ट कोई फैसला देता है और उधर के लोग भले ही आज उनके वोट ज्यादा हों भूलें नहीं कि पार्टी का व्हिप आ जायगा। पर दुबारा चुनाव

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

हो जांय और हाई कोर्ट के फैसले को मानना चाहिये। तो माननीय मंत्रीजी को क्या एतराज हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानें? १९०० पंचायतों का दुबारा चुनाव हो जाय और हाई कोर्ट के फैसले को मान लें, हाई कोर्ट के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। और दुबारा चुनाव सरकार को कराना चाहिये। तभी गलत कार्यवाही जो किसी अधिकारी ने की है या मिनिस्टर ने की है उसका पता चलेगा कि यह नाजायज तरीके पर किया गया है, इसी से विधान सभा की तरक्की होगी।

श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, अभी अभी मोहन ने पंचायत एक्ट की धारा ८६ में कुछ संशोधन करके उसे पास किया। ८६ के संशोधन के अनुसार राजस्थान सरकार को अधिकार हो गया कि वह पंचों की संख्या निर्धारित करने में यदि किसी प्रकार की भूल हुई है, पक्षपात हुआ है, अवैधानिक कार्यवाही हुई है तो उन सारी कार्यवाहियों को किस प्रकार वैध किया जा सकता है, इसमें हेर फेर करके या दूसरे ढंग से और उन्होंने इस प्रकार का संशोधन लाकर व्यवस्था कर ली, व्यवस्था हो गई पंचायतों की संख्या के बारे।

अब ९३ में जो संशोधन है उसके माफिक हम पंचायतों के क्षेत्र के बारे में फैसला करना चाहते हैं।

(राज श्री हिम्मत सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेअरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो ८६ में संशोधन स्वीकार किया गया है वह उनके लिये स्वीकार किया गया है जिनकी टेरिटरी चेंज की जानी है। ९३ में उनके अनुसार कोई गलती हुई है उसके लिये यह संशोधन लाया जा रहा है ऐसी बात नहीं है? गलती ठीक करने के लिये कुछ किया गया है, ऐसी बात नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह—यदि गलती ठीक करने की बात नहीं होती तो। "shall be deemed to have come into force from the date of the commencem- ent of this Act." एड नहीं करते।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह तो हुआ ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह—धारा ९३ में जो संशोधन पेश हुआ हैं वह मूल ९२ के साथ पढ़ा जाय तो हमें पता चलेगा कि इस संशोधन से किस प्रकार के अधिकार सरकार को देने जा रहे हैं?

[श्री भैंरूसिंह]

धारा ९३ में यह है :

"All laws in force in any part of Rajasthan relating to village Panchayat are hereby repealcel"

फिर भी जो पंचायतें इस कानून के बनने से पहले बनी हुई थीं उनको हम इस प्रकार एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। उसके लिये रखा है।

"Provided that all rights created under any law so repealed, shall, unless they are inconsistent with the provisions of this act, be deemed to have been created there under आगे फिर शर्त रखी है।

"Provided further that all sums due on account of any tax, fine or fee imposed by any law, as repealed, shall be recovered under the provisions of this Act."

क्लॉज़ ९२ के अनुसार जो कि मूल बिल में व्यवस्था की गई है तो हमने इस चीज़ को माना है कि राजस्थान पंचायत एक्ट के लागू होने के बाद राजस्थान में जो अलग अलग रियासतें थीं और उनके सम्बन्ध में अलग कानून बने हुए थे उनके मातिक, राजस्थान में पंचायतें बन गई थीं, वे पंचायतें वैसी ही बनी रहेंगी। केवल एक बात पर सरकार को अधिकार दिया जा सकता है और वह इस बात पर कि अगर बालिग मताधिकार पर पंचायतों का चुनाव नहीं हो तो सरकार को अधिकार होगा कि वह उनके स्थान पर दूसरी पंचायत का चुनाव करा सकती है। इस चीज़ को हम मानते हैं और इस सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं और हमें करना चाहिये। राजस्थान बनने से पहले जो पुरानी रियासतों में पंचायतें वहां के कानून के अनुसार कायम हुई थीं उनको अब उसी रूप में नहीं रहना चाहिये। यह ठीक हो सकता है, मगर सवाल यह आता है कि पहले हमने कानून के जरिये यह अधिकार दिया कि जिस ढंग से पंचायतों का चुनाव हो चुका है वह उसी ढंग से पंचायतें रहेंगी। अब ९३ के संशोधन से सरकार को अधिकार उस तारीख से हो जाता है जिस तारीख से, यानि १९५३ से जब से पंचायतों का यह एक्ट बना। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो फिर सरकार यह करेगी कि जो पंचायतें सरकार ने गलत तरीके से कायम की है और जिनका क्षेत्र गलत बनाया गया है, गलत तरीकों से वार्ड बनाये गये और जिसे लोग नहीं चाहते थे उसके खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर कानूनी शरण ली और सरकार को चैलेंज दिया कि सरकार का आदेश गलत है और जो गलत कार्यवाही सरकार ने की है उसकी जांच की जावे और उनको इन्साफ दिया जावे। जब हाई कोर्ट ने उनको इन्साफ दिया तो आप अपनी गल्ती को महसूस नहीं करें बल्कि उस गल्ती को बहुमत के आधार पर लोगों पर थोपें और यह कह कर थोपें कि राजस्थान की विधान सभा ने यह कानून बनाया है, राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसको पास कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान के विधान सभा द्वारा आप कानून बना कर आप अपनी खामियों को दुरूस्त करते

[श्री भैरूसिंह]

हैं जिसे हाई कोर्ट ने कल गलत माना। उसे आज आप विधान सभा में कानून बना रहे हैं। मुझे सरकार की तरफ से यह सुन कर बहुत अफसोस हुआ कि हम तो हाई कोर्ट के फैसले का सन्मान करते हैं। आप हाई कोर्ट के फैसले का सन्मान करते हैं, वह इस ढंग से कि उस न्यायालय ने आपकी गल्ती बताई। यह बहुत अच्छा किया। अगर आप उसको नहीं मानते तो दुनिया उसको मानती है। आपके पास उसको मानने के अलावा कोई दूसरा हथियार ही नहीं है। अगर आपकी कोई चलती तो आप सम्मान करने के स्थान पर दूसरी ही बात करते, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा हथियार ही नहीं है। अगर कोई हथियार होता तब आप सन्मान नहीं करते। हथियार की कमी के कारण आपके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया कि जो पंचायतें पहले बनी हुई हैं वे ही रहेंगी, पहले की पंचायतों को उसी रूप में मानना चाहिये। हाई कोर्ट के फैसले की मंशा यह है कि जो पंचायतें पहले जिस ढंग से थीं उसी प्रकार बनी रहें। पंचायत एक्ट १९५३ के तहत में बनीं, वैसी ही बनी रहनी चाहिये। अगर आपने इसका सम्मान किया होता तो फिर आपको इसमें किसी प्रकार का हेर फेर करने की इस धारा में कोई आवश्यकता नहीं होती। बर की पंचायत को लीजिये। उसमें दूसरे क्षेत्रों को शामिल कर दिया और वह इसलिये कि दूसरे क्षेत्र के पंच आवेंगे, वे बर के पंचों से ज्यादा होंगे और इससे बर की पंचायत हमारे हाथ में रहेगी। इसीलिये कहीं पर आपने ५० आदमियों पर एक वार्ड बनाया और कहीं पर कुछ दूरी पर के गांव मिला कर एक वार्ड बना दिया और ऐसे क्षेत्र मिला दिये जो बहुत दूर दूर के थे। बर में केवल बर का कस्बा ही रहता है। अगर बर का कस्बा ही रहता तो बर के लोगों का उस पंचायत पर अधिकार रहता है और आपने यह सोचा कि बाहर के लोग रहेंगे तो हमारा अधिकार उन पर होगा। बर वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात के लिये हाई कोर्ट में रिट पेश की कि ९३ के अन्तर्गत जिस तरह से पंचायतों के क्षेत्र रखने चाहिये, राजस्थान सरकार ने नहीं रखे हैं और रद्दोबदल कर दिये हैं। हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और उसके बावजूद भी सरकार ने क्षेत्र बदल दिये, इसलिये हाई कोर्ट ने कहा कि जो पंचायतें पहले की बनी है वे उसी रूप में रखी जावें। अब हमारे माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि जो संशोधन है उसके द्वारा जनता के अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, मगर जो कुछ किया जा रहा है वह राजस्थान की विधान सभा में कानून पेश कर, बना कर इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है। एक तरफ तो आप ऐसा कर रहे है और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इससे मैं तो यह कहूँगा कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान होता है या, अपमान; यह तो आप ही कह सकते हैं। यह तो सिर्फ कहने का फर्क हो सकता है। कह दिया जाता है कि हम सम्मान करते हैं मगर जिस वक्त आप इसकी घोषणा करेंगे और मैं समझता हूँ कि करेंगे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वह वाजिब है और जो कुछ पंचायतों के संबन्ध में कार्यवाही हुई है वह अवैध है। इसके आगे हम यह कहें कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार होने चाहिये कि वह हेर-फेर क्षेत्रों में कर सके, सरकार यह चाहती है कि जो लोगों को क्षेत्रों में हेर-फेर कराने के अधिकार हैं वह सरकार को होना चाहिये। आपको ऐसे पॉवर्स मिलने चाहिये इस बात को मैं मानता हूँ क्योंकि शिकायतें अमुमन

[श्री भैंरूसिंह]

आपके पास ही आती है। मैं आपकी तकलीफों को महसूस करता हूँ और यह चाहता हूँ कि आपको इस संबन्ध में अवश्य अधिकार होने चाहिये कि पंचायतों के लोगों के अलावा सरकार को भी जो दिक्कत पेश हो तो क्षेत्रों को बदलने की सामान्य व्यवस्था करनी चाहिये और वह कर सकती है। लेकिन जो आपने गल्तियें की हैं उनको सही करने के लिये आप क्या जवाब देते हैं, अगर आप नये रूप से इन पंचायतों में हेर फेर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वार्ड या क्षेत्र गलत बन गये हैं उनको ठीक करना है। अगर नये अधिकारों की कोई बात होती है तो मैं सरकार के साथ हूँ और यह चाहता हूँ कि आप नये हथियार लेकर फौरन गल्तियों को इस प्रकार दूर करें और उनको बनाये रखना ठीक नहीं। मगर जो गल्तियें आपने की हैं उनको सही मानना बिल्कुल गैर वाजिब है। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि लोगों के दिल में यह भावना हो जावेगी कि विधान सभा में सरकार की ओर से जितने कानून बनने के लिये पेश होते हैं, वे बुरे बनते हैं। मैं यह कहूँगा कि विरोधी दल की तरफ से कोई भी अच्छी बात कही जाती है, चाहे वह कितनी अच्छी क्यों न हो, मगर सरकार उसको विरोधी दल की तरफ से आई हुई होने के नाते उसकी अवहेलना करती है और उसका यह नतीजा होता है कि जो कानून विधान सभा में बनते हैं वकील लोग लोगों को राय देकर हाई कोर्ट में रिट के रूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करवाते हैं और हाई कोर्ट में वे विधान सभा में बने हुए कानून गलत घोषित होते हैं। मैं यह कहूँगा कि राजस्थान विधान सभा को यह महसूस करना चाहिये कि जो कानून विधान सभा ने बनाये उनमें से १८ कानून हाई कोर्ट ने गलत बताये। फिर भी हम अपनी इस परम्परा को नहीं तोड़ते हैं कि जो विरोधी दल सही राय दे वह मानी जाय। हमारा आपका विरोध है लेकिन सही बात जो हो उसकी अवहेलना करना ठीक नहीं। इसके लिये हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये। हमने हाई कोर्ट को अधिकार दिया है लोगों को न्याय देने का और हाई कर्ट कोई फैसला देती है तो उसका दूसरी तरफ करें। यदि मेरे अधिकारों पर प्रहार किया तो मैंने हाई कोर्ट में न्याय की शरण ली। हाई कोर्ट ने उचित बहस सुनने के बाद व कानून के शब्दों का इन्टरप्रिटेशन करने के पश्चात् हुक्म दिया। अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो हाई कोर्ट सरकार को आदेश देती है कि इस तरह का कार्य करना उचित नहीं, यह हमारा अधिकार है हाई कोर्ट में जाने का। यह इस तरह से है कि हम हाई कोर्ट में गये, सरकार की गलत कार्यवाही से बचने के लिये और हाई कोर्ट ने सरकार की गलत कार्यवाही मान ली, लेकिन सरकार क्या करेगी कि उस गलत कार्यवाही को फिर विधान सभा से पास करवा कर सही करा देना चाहेगी। तो फिर हाई कोर्ट में जाने का क्या फायदा। जो गलतियां सरकार ने की और जिनकी वजह से जनता को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार की कार्यवाही गलत है, लेकिन सरकार उन गलतियों को दुरुस्त नहीं करती और जैसा कि मुक्तिलालजी ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार हाई कोर्ट में जाने से लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है और उसी तरह का प्रोटेक्शन जनता के हितों को सरकार की ओर से रहे तो फिर हाई कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं; उनका यह कथन सत्य है। हाईकोर्ट में इसलिए जाते हैं कि वहां जनता के जो अधिकार हैं उन पर यदि कुठाराघात होता है, यदि जनता के अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट में जा कर जितने दुःख हैं उनको सामने रखे और सरकार को आदेश दिलाये कि तुमसे जो गलतियां हो रही हैं उनको दुरुस्त करो।

[श्री भैंरूसिंह]

हमारी सरकार हाई कोर्ट में जाने की तो छुट्टी देती है, लेकिन वह उसके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। भूतपूर्व मंत्रीजी को याद होना चाहिये कि जेतारण डिस्ट्रिक्ट से एक नहीं कई डेपुटेशन उनसे मिलने के लिए आए लेकिन उन्होंने उनकी बातों को माना नहीं, इसलिए नहीं माना कि जो पंचायत क्षेत्र और पंचायतें बनी हुई हैं वे बनी रहेंगी, उन पंचायतों में अब कोई हेर-फेर नहीं होने वाला है तो उन लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। सब लोगों से चन्दा किया गया। एक ही गांव की पंचायत के चुनाव ठीक नहीं हुए हों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे जेतारण डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव हुए हैं वे ठीक ढंग से हुए; ऐसी चीज़ नहीं है। वे ठीक ढंग से नहीं हुए। जो जो परेशानियां उनसे हुईं उन परेशानियों से बचने के लिए लोग हाई कोर्ट में गये। उन्होंने हजारों रुपया लगाया। लेकिन आप एक संशोधन लाकर हजारों रुपयों को बर्बाद कर रहे हैं और अगर इस प्रकार का कानून बनावेंगे तो वह विधान सभा के लिए कलंक होगा, प्रजातन्त्रीय शासन पर एक कलंक होगा और अगर इस तरह से सरकार विभूषित होना चाहे तो हो, उनके पास बहुमत है। लोगों का काम है, उनके पास दरख्वास्त देना और अगर वे नहीं मानते हैं तो हाई कोर्ट में जावेंगे और हाई कोर्ट के हुक्म को भी वे वैध नहीं मानना चाहते तो उनकी मर्जी। लेकिन हम तो उनसे निवेदन करेंगे, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम उनसे निवेदन करेंगे बार बार कि आप इस प्रकार की गलत परम्परायें न डालें, कानून को विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करके आप उनको तोड़ रहे हैं और निवेदन करने के पश्चात् भी नहीं मानते हैं तो जनता के लिये न्यायालय, हाई कोर्ट खुले हैं और उसके बाद भी जनता अपने दूसरे हथियारों को अपनायेगी और इस प्रकार की अवैधता को वह रोकेगी। अन्त में मैं माननीय चेयरमैन, आपसे निवेदन करूंगा कि जनता को जो अधिकार थे उनकी परवाह नहीं करके, हाई कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं करके, जो अवैधतायें बरती गईं उनको इस कानून द्वारा कानूनी रूप दिया जा रहा है, जिस प्रकार जनता के अधिकारों का हनन करने की सरकार कार्यवाही कर रही है, पुरानी गलतियों को वैध करने का जो हथियार उपयोग में लिया जा रहा है; चाहे विरोधी दल अल्पमत में हो, वह उसका घोर विरोध करता है।

वे १६०० पंचायतों की मिसाल सामने न रखें। खर्च की बात सामने रखी गई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पार्लियामेन्ट के सदस्य मर जाते हैं। हमारे यहां भी दो सदस्य मर गये। एक रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई, दूसरे की पूर्ति होनी है और उसके लिए चुनाव कराये जावेंगे। जहां आवश्यक खर्चा किया जाना है वह होगा ही, जहां आवश्यक जो खर्चा होता है उस काम को केवल प्रगति के नाम पर, १६०० पंचायतें बहुत काफी संख्या में है, सारी की सारी पंचायतें रद्द हो जावेंगी तो ऐसी चीजों में तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप जाइये मारवाड़ को देखिये, एक ही नहीं गांव के गांव की पंचायतों के बारे में शिकायतें भरी पड़ी हैं। मैं आपको न्योता दूंगा नागौर डिस्ट्रिक्ट को देखने का और नागौर डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं भूतपूर्व मंत्रीजी के कुचेरा गांव में चलने का। कुचेरा में किस तरह के क्षेत्र बनाये, किस तरह से पंचायतों के निर्माण हुए और किस तरह से

Page No.61

[श्री भैंरूसिंह]

चुनाव हुए और जब उस पद्धति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे मारवाड़ में अच्छे २ लोग पंचायतों में आ सकते थे, लेकिन केवल एक ही वर्ग के लोग आये हैं। फिर यहां विधान सभा में कहना कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के अनुसार जो पुरानी पंचायतें थीं, उनमें से एक-दो की ही शिकायतें थीं: लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दो की ही, नहीं सब की सब शिकायतों से भरी पड़ी हैं। नागौर में मार-पीट कर लिया गया, दूसरे को सरपंच बना दिया। उसने आकर थाने में रिपोर्ट की, लेकिन आज दिन तक चालान नहीं हुआ.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, जनरल डिस्कशन फिर से शुरू हो रहा है क्या ? यह सारी बातें तो उन्होंने पहले ही कह दी हैं, केवल रिपीटिशन है। उनका रिपीटिशन करना फिजूल है, वैसे कहने दीजिये।

श्री भैरूंसिंह—मैं समझता हूँ कि यदि किसी उचित कार्यवाही को सरकार नहीं मानती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम बार बार उसको दोहरायें और सरकार को कहें कि वह इनको माने।

(हंसी)

मैं मानता हूँ कि एक दफा कहने से कान नहीं खुलते, यदि खुलते तो जैतारण डिस्ट्रिक्ट की पंचायतों की शिकायतों को सुना जाता, बर वालों की शिकायतों को सुना जाता। कान अधिक उस वक्त खुले जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया। चूंकि अब खुले हैं तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जितनी दफा ज्यादा कहा जायगा तो उतनी ही दफा कान खुलेंगे।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपका केवल रिपीटिशन था, समय का दुरुपयोग है।

श्री भैरोंसिंह—मैं मानता हूँ कि रिपीटिशन है। रिपीटिशन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन रिपीटिशन के नाम पर आपको बेचेनी होती है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—समय बिगड़ता है रिपीटिशन से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बेचैनी की कोई बात नहीं। जो आप एक दफा कह चुके हैं उसको बार बार कहना केवल समय का दुरुपयोग है।

(हंसी)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—order please ?

श्री भैरूंसिंह—बेचेनी यह हैं साहब । बार बार सुनने से कान खुल जावेंगे । बिल्कुल सही बात कहूँगा और कान नहीं खुलेंगे तब तक रिपीट करूंगा और उस चीज के लिए मैं समझता हूँ कि समय बुरा नहीं जाता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे कान में वह बात पड़ गई थी । (विराम) मेरे पास पहुँच गई ।

श्री भैरूंसिंह—कान से मस्तिष्क में नहीं आई । मस्तिष्क में लाने का प्रयास करिये ।

(हंसी)

मुझे खुशी है कि कान में तो वह बात पड़ गई और जब इतनी चर्चा चली है तो वह सिर में भी पड़ेगी ।

तो धारा ६३ में जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें लिखा है कि :

"(3) In making a direction for the re-constitution of a Panchayat under sub-section (2) the state Government may order any area to be included in or excluded from the Panchayat circle of such Panchayat and may issue further directions as to the number of panchas of the panchayat for the altered area and as to all other matters relating to such reconstitution and re-election of Panchas thereto, and nothing in section 86 shall apply or be deemed ever to have applied to such inclusion or exclusion."

इसका तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत कर दिया लेकिन आगे क्या कार्यवाही होगी ?

"(4) Notwithstanding any defect or lack of form, procedure, jurisdicijon or power and not-with-standing anything contained in any judgment, decree or order."

इन शब्दों को और ध्यान से पढ़ें । संशोधन के क्लॉज़ के भाग (४) में लिखे हैं ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"Not-with-standing any defect or lack of form, procedure, jurisdiction or power and not-with-standing anything contained in any judgment, decree or order."

और फिर आगे लिख दिया है ।

"(i) all panchayats of the category specified in subsection (2) which have been notified after the commencncement of this Act to have been established undr

Page No.63

[श्री भैरूंसिंह]

section 3 or to have been re-constituted under sub-section (2) of this section shall be deemed to have been re-constituted, as respects their Panchayat circle, under sub-section (2) read with sub-section 3 of the section, and (ii) all orders made under sectiour 4 as to the number of Panchas of such panchayats or as to other matters relating to the re-constitution of such Panchayats and the re-election of Panchas thereto, as well as all elections held in pursuance of uch-orders, shall be deemed to have been made or held, as the case may be, under sub-section (3) of this section."

आपने हाई कोर्ट के फैसले का कितना सम्मान किया है ? आपने जनतंत्र के तरीकों का कितना सम्मान किया है, यह आपके संशोधन से पता चल जाता है । यह सम्मान की बात तो नहीं कही जा सकती । हाई कोर्ट के फैसले को आप मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं । हाईकोर्ट ने जिस चीज को गलत बताया उसी गलती को हम किस तरह से सही कर सकें; इसी में आप अपनी शान समझे हुए बैठे हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पास करने के लिए जो संशोधन सत्ताधारी सरकार की तरफ से रखा गया है उसको पास नहीं किया जाय;यह एक जबरदस्ती होगी जनता के साथ । आज तक जो भी गडबड़ियां हुई वे सारी गड़बड़ियां दुरूस्त नहीं होंगी । इससे गड़बड़ियों को दुरूस्त किया हुआ समझा जायगा यह, इस प्रकार का संशोधन है । विरोधी पक्ष जहां तक बन पड़ेगा, जिस प्रकार के भ वैध हथियारों को काम में ला सकेगा, लायेगा और इस शोधन को पास नहीं होने देगा ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत विधेयक के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है । इसके लिये सरकारी बेंचों की तरफ से यह दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हम समय ज्यादा लगा रहे हैं; इसलिये माननीय मित्रों की बात मानकर ज्यादा समय नहीं लूंगा । इस विषय पर मैं काफी बोल चुका हूँ और विपक्ष की तरफ से इस सम्बन्ध में काफी विचार भी प्रगट किये जा चुके हैं । यह दोनों सेक्शन्स अलाइड होने की वजह से, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होने की वजह से वे ही बातें जो पहले कही जा चुकी हैं जो दलीलें पहले दी जा चुकी हैं उन्हीं को रिपीट करना आवश्यक होगा। । मैं समय ज्यादा न होने की वजह से उनको दोहराना आवश्यक नहीं समझता फिर भी जो कुछ मुझे कहना था वह जनरल डिबेट पर और सेक्शन ८६ पर कह चुका हूँ । जो एतराज हमने पहले किये वही एतराज हमें इस क्लॉज़ पर भी है ।

हाई कोर्ट के हुक्म की मान्यता का जहां तक सवाल है माननीय मंत्री जी कहेंगे और हम भी इस बात के लिए सहयोग देने के लिए तैयार होंगे। आज तक जो भी उनको दुविधायें हुई और जो

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

भी आगे दुविधायें होने वाली हैं उनको किसी हद तक वे दूर कर सकें, यह ठीक है लेकिन इसका जो बेकइफेक्ट से आप अमल करना चाहते हैं, शुरू से जो गलती हो चुकी है जिस गलती को हाई कोर्ट ने भी माना है कि यह गलती हुई है इसीलिए उन्होंने वे चुनाव रद्द कर दिए; अगर इसको सही मायने में आप हाई कोर्ट के फैसले का सन्मान करना चाहते हैं, हाई कोर्ट के हुक्म को मान्यता देना चाहते हैं तो आयन्दा के लिए कुछ हद तक आप पॉवर्स रखें। सरकार द्वारा जो कुछ भी कार्यवाही की जाती है उसमें संतोष न होने की वजह से हम बिल्कुल इसमें सहमत नहीं होंगे। हम सही मायने में हाई कोर्ट के हुक्म का आदर करना चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं तो कम से कम इसको बेक इफेक्ट यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम में न लेवें। जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसने गवर्नमेंट के हुकुम को रद्द किया था उसी तरीके से आप शब्द बदल कर अपने मतलब को सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें हमें भी सख्त एतराज़ है।

दलीलें इस संबंध में काफी दी जा चुकी हैं। जितनी ज्यादा दलीलें दीं उनका असर कानों तक ही पहुंचा, जैसा कि अभी मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने कहा, उसका असर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा और शायद बारबार इसीलिए हम दोहरा रहे हैं कि वह असर मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचे। अब तो सिर्फ एक बात रह गई वह यह कि इस सम्बन्ध में न उनके पास कोई दलीलें हैं और न कोई सिद्धांत ही। जो कठिनाइयां उनको महसूस हुई आयन्दा के लिए भले ही वे पॉवर अपने पास रखें लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना और हाई कोर्ट के हुकुम को रद्द करना, यह एतराज के लायक है। विरोधी पक्ष की तरफ से हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम इसको पूर्ण रूप से मान्यता देने के लिए तैयार नहीं, मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानि जिस तारीख को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया उस तारीख से इसको लागू न करें।

दूसरा, मैं इस बात को निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि इसमें इस सदन के माननीय सदस्यों की क्या निष्पक्ष राय है, यह आप जानना चाहे तो आप व्हिप इश्यू न करें। आपके साथियों को हम भी जो विपक्ष में हैं हमारी पार्टी के दूसरे साथी हैं, जो हम राय रखते हैं उसमें हम भी व्हिप इश्यू नहीं करेंगे। आप भी व्हिप इश्यू न कीजिये, खुली राय सदन की आप लेना चाहते हैं तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाना चाहिये या नहीं, तो जो कुछ भी राय होगी हम उसे सहर्ष मन्जूर करेंगे। लेकिन व्हिप के जोर से या पार्टी के नियमों के अन्तर्गत आप आदेश दे देते हैं तो उससे जो निर्णय होते हैं वह उचित नहीं कहे जा सकते। हमारे बारबार कहने पर हमें यह सुनने को मिला है कि आखिरकार गवर्नमेंट भी तो हम लोगों की है, जो कुछ भी किया जाता है जनहित के लिए किया जाता है और यह भी हम जनहित को ध्यान में रख कर ही करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं एक टूनी पंचायत है। वहां तहसीलदार साहब का हुक्म हुआ, जो कि पंचायत टूनी के निर्वाचन अधिकारी थे उनके दस्तखतों से एक हुक्म निकला है वह इस प्रकार है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

"जन साधारण पंचायत क्षेत्र दूनी को सूचना दी जाती हैं कि टिड्डियों के आक्रमण के कारण प्रार्थना-पत्र पटेल व काश्तकारान को आज चुनाव स्थगित किये जाते हैं।" यह हुक्म २-३६-५४ को तहसीलदार जो खुद निर्वाचन अधिकारी था वह हुक्म देता है कि टिड्डियों आगई इस लिये सब का सहयोग चाहिये; इसलिये आज चुनाव स्थगित किये जाते हैं। अब वहां क्या तमाशा होता है, विपक्ष की तरफ से जो चुनाव में मत देने के लिये आये थे वे तो चले गये। यह तहसीलदार साहब के दस्तखतों से जो हुक्म निकला है वह उनने किसी तरह अपने कब्जे में किया है। इस तरह से विपक्ष के लोग जो चुनाव में भाग लेने आये थे वे चले गये लेकिन जो लोग देखते थे कि हम इन लोगों के आने से चुनाव में नहीं आ सकेंगे तो उन्होंने कहा कि तो हम आ गये इसलिये हमारा चुनाव करवा दिया जाय। इस तरह से हुक्म चुनाव के स्थगित करवाने का होते हुए भी चुनाव करवा दिये। जब उन लोगों को पता चला तो उन गांव के निवासियों ने दरख्वास्ते दीं जो मिनिस्टर साहब तक को भी दी गईं रजिस्टर्ड दरख्वास्तें। उसमें कहा गया कि हमारे साथ धोखा बाजी की गई। श्रीमान कलेक्टर डि. टोंक, दूसरी सब डिवीजनल मजीस्ट्रेट निजामत मालपुरा, तीसरी उन्होंने रावराजा उणियारा जो कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको दी गई, पांचवी दरख्वास्त चीफ पंचायत आफिसर को दी गई और छटी रजिस्टर्ड दरख्वास्त मिनिस्टर महोदय को दी गई। इसको दिये हुए आज करीब एक साल हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो आज यह बात कहते हैं कि यह तो जनहितकारी राज्य है उनको हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि इस प्रकार के जो अन्याय हुए हैं क्या आप उनके साथ इसी प्रकार का न्याय करना चाहते हैं। जिस दरख्वास्त को दिये हुए एक साल का अरसा हो गया यह तहसीलदार का हुक्म मौजूद है कि पंचायत के इलेक्शन नहीं होंगे, फिर भी पंचायत के इलेक्शन हो गये और वही पंचायत आज भी काम कर रही है, छः महीनों तक पंचायतों के नाम राजपत्र में प्रकाशित नहीं किये गये; उस पर भी दे दिया गया चार्ज। अगर यह भी हाई कोर्ट के सामने मामला ले जाया जावे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि कल ही नया अख्त्यार चाहते हैं; इस प्रकार का अमेंडमेंट इस सदन में लाया जा सकता है सरकार की तरफ से। ऐसी सूरत में हमारी सरकार यह अधिकार ले ले और जो कुछ भी उसने किया उसको गलती नहीं माना जाय, सही माना जाय तो हम कहां तक सरकार का विश्वास करें?

एक नगर तहसील के सरपंच बनाने का सवाल था। इस पर सरकार ने एक आदमी को ओफिशियेटिंग सरपंच बना दिया और जब चुनाव हुए तो नया सरपंच आ गया। यह २२-११-५५ की बात है। हाल ही का यह किस्सा है कि वहां नया सरपंच बना दिया। २७-१०-५५ के राज पत्र में गजानन्द का नाम प्रकाशित हुआ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—नगर तो भरतपुर में है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—(जारी) २७,१०,५५ को नया सरपंच मुकर्रर हुआ है। राजपत्र में छपा है, पहले आफिशियेटिंग सरपंच कर दिया था। राज्य की तरफ से हुक्म गया कि नये सरपंच

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

हो गये हैं इसलिए ऑफिशियेटिंग साहब को हटा दिया जाय। तो उसके लिये ऑफिशियेटिंग साहब ने कह दिया कि हम नहीं मानते हैं हुक्म। पहले कह दिया कि मोहर नहीं है तहसीलदार साहब की। जिसके लिए वह वापिस गया और आज तक वह लटक रहा है; चार्ज नहीं दे रहा है। उसके पीछे किसी का हाथ है; नहीं तो कैसे हिम्मत पड़े किसी की कि राज्य का हुक्म न माने।...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—टोंक।

आज तक सरकार ने यद्यपि दूसरा सरपंच मुकर्रर कर दिया लेकिन ऑफिशियेटिंग सरपंच जो हैं वह चार्ज नहीं दे रहा है। राज्य ने नया सरपंच तो सही तौर पर मुकर्रर कर दिया है, लेकिन पुराना जो है वह चार्ज नहीं दे रहा है और कहता है कि करना हो सो कर लो। ये बातें ध्यान में रहें। हमें देखना है कि क्या कार्यवाही करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमें डर इस बात से लगता है कि सरकार को कोई भी पॉवर दें तो यह विश्वास होना चाहिये कि सही तौर पर इस्तेमाल की जायगी, उसका सदुपयोग किया जायगा तो आंख मीचकर आप जो चाहें उससे १० गुना पॉवर दे सकते हैं। लेकिन हमको विश्वास नहीं है। कुछ उदाहरण ऐसे लगे हैं; तो सही पॉवर देने में डर लगता है, क्योंकि यह जनता का काम है। उस पर अन्याय और अनर्थ हो सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका मिलना चाहिये। हमारे और उसके प्रिन्सिपल नहीं मिल सकते हैं और हम से दो कदम आगे चल रही है तो वह एक प्रजातन्त्रवाद को हानि पहुँचाते हैं। तो हम सिद्धान्त के जोर पर जो मान-मर्यादा का संशोधन पेश किया उसका विरोध अच्छी तरह देख चुके हैं, डिवीजन करवा चुके हैं, विरोधी पक्ष के हाथ में जो ताकत हो सकती है रोष प्रकट करने की वह काम में ली। सरकार नहीं समझे (समय समाप्ति सूचक घंटी) तो खैर निवेदन यही करना है कि इसको बेक इफेक्ट नहीं दें, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दें जिससे बर के साथ अन्याय नहीं हो। चुनाव दुबारा कराये जांय। व्हिप इश्यू नहीं करें और जो माननीय सदस्य उधर हैं वे उनकी जो आत्मा (कॉन्शयंस) कहे कि उचित है उस तरफ वोट दें तो सही बात क्या है ? यह तभी मालूम होगी। अगर व्हिप इश्यू करके बहुमत के जोर पर करवाना चाहते हैं तो सही मायने क्या होंगे उस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुँचेंगे।

(श्री रूपनारायण शास्त्री के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—और क्या खास बात इसमें रह गई है ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—यह तो बहुत महत्व की बात है, इस पर बोलने दीजिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—एक महत्व पूर्ण बात है। सबको बोलने का हक है इसलिए अगर कुछ समय बढ़ जायगा तो क्या हो जायगा ? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कहने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—थोड़े में कहिये।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—As saying says, the majority has the way, the minority has the say.

हमें संतोष हो जाय और जो बुखार निकालना है वह निकाल दें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, धारा ९३ पर जो संशोधन पेश हुआ है तो उस धारा की खूब चर्चा हुई है। अब इन चर्चाओं से हम जिस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उसका परिणाम क्या है ? उस पर यदि विचार करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि बहुमत का उपयोग जनता के कल्याण के लिए नहीं करते हुए अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, वह बहुमत अपने अधिकारों को काम में ले रहा है वह अपने जनहित के काम में नहीं ले रहा है। विधान सभा में कहा गया, एक 'बर' शब्द बहुत महत्व का हो गया है। इस सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अनेक तरह से इसको पेश किया है। मैं भी इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि बार २ जिस बर पंचायत के सम्बन्ध में यह घटना की गई है यह सही तो जरूर है क्योंकि विधान के अनुसार वह वैधानिक था। पंचायतों का जो विधान है उस विधान के अनुसार बर पंचायत के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह वैधानिक था क्योंकि वह हमारी ९३ धारा है जिसको मैं पढ़कर बतला देता हूँ। क्लॉज़ ८९ में उन्होंने लिखा है कि—

"(१) ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित राजस्थान के किसी भी भाग में प्रभावशील समस्त कानून इसके द्वारा खंडित किये जाते हैं"

इसका अर्थ स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों के लिए जितने पहले के किसी भी भू भाग में कोई भी कानून लागू हैं, यह सब कानून इसके द्वारा खंडित होता है, किन्तु शर्त यह है कि किस प्रकार से खंडित हो :

"किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार खंडित किये गये किसी कानून के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त अधिकार जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हैं उसके अन्तर्गत बनाए गये समझे जावेंगे"

यह कहने की बात है वह स्पष्ट कर दिया है कि कैसे खंडित किया जायगा। यह कानून के अन्दर साफ है कि :

"किसी भी खंडित किये गये कानून के अन्तर्गत स्थापित वे समस्त पंचायतें जो इस अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख से विद्यमान हैं, जारी रहेंगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

स्थापित की गई समझी जावेंगी परन्तु राज्य सरकार किसी भी दशा में, तथा प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धान्त के अतिरिक्त संस्थापित पंचायतों की दशा में, यह आदेश दे सकती है कि ऐसी पंचायत इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनः संस्थापित हो ”

इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह जो कानून बना है उसके द्वारा और कानून खण्डित समझे जायेंगे, लेकिन जिस दिन से यह कानून बनाया है उस तारीख से पहले जो पंचायतें थीं वे इस कानून के अन्तर्गत ही समझी जायेंगी, अर्थात् वे वैध समझी जावेंगी और यदि वे वयस्क मताधिकार के अनुसार नहीं बनाई गई हैं तो राज्य सरकार ये आदेश दे सकेंगी कि वहां पर पुनर्निर्वाचन हो। यह इस कानून का अर्थ है। इसलिए इसके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि वर की पंचायतें इस कानून के बनने के समय में मौजूद थीं। वे मारवाड़ पंचायत एक्ट के अनुसार बनाई गई थी और वे वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार बनी हुई थीं इसलिए वे खंडित नहीं की जा सकती हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी स्वेच्छाचारिता से अपने स्वार्थों को पूर्ण करने से वहां दूसरे चुनाव करवा दिये और सब पंचायतें को अवैध घोषित कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, उच्च न्यायालय की शरण ली तो फिर आप चाहते हैं कि गला घोट दिया जाय कि न्याय कैसे प्राप्त कर लिया। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को क्या अधिकार है उसके, प्रभाव को कम करने की शक्ति हम में है, क्योंकि हमारे पास बहुमत का बहुत बड़ा शस्त्र है। यदि हम बहुमत के शस्त्र का इस तरह उपयोग करेंगे तो फिर जनकल्याणकारी राज्य हो चुका। रात को यदि दिन कहेंगे पांच आदमी और दो आदमी रात कहते हैं तो वह दिन नहीं हो सकता है। यदि यह नियम बन गया कि पांच आदमी दिन को रात कह दें तो दिन मत समझो, यदि पांच आदमी सूर्य को चांद कहें तो उसको चांद समझो, चांद कहना चाहिए; ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऊपर प्रजातन्त्र में हम भूतपूर्व कानून के ऊपर प्रभाव डालने वाला दूसरा संशोधन का कानून बना लेते हैं। यह जो विधान सभा में परम्परा डाली गई है और इस परम्परा को स्वस्थ परम्परा के नाम पर कायम कर देना चाहते हैं।

तो हम आवश्यक समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि शासन में कठिनाई पड़ रही है, इसलिये जन-हित में बाधा पड़ रही है पर यहां तो विधान सभा कायम होने के बाद १८ बार ऐसे संशोधन आ चुके हैं, जो हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिये और भूतपूर्व कानून को सही बनाने के लिये लाये गए हैं। यह सही परम्परा नहीं है। यही परम्परा रही तो न तो हाईकोर्ट के न्याय का कोई महत्व ही रह जायगा और न इस विधान सभा का ही। फिर तो यह बात है कि विरोधी दल क्यों तो बोले और क्या जरूरत है यहां किसी कानून को लाने की, जो जंचेगी बहुमत उनके हाथ में है जैसा चाहेंगे वैसा वे खुद ही बना लेंगे। तो स्वस्थ परम्परा के अनुसार हर आदमी ने इसकी आलोचना की है तो वह गलती हुई। उसके सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूँ कि यदि पार्टी व्हिप इश्यू नहीं किया जाय और फिर समस्त विधान सभा के सदस्यों से राय ली जाय और उसी

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

निर्णय को मान लिया जाय ; यह निष्पक्ष न्याय है परन्तु वे एक पार्टी व्हिप इश्यू कर के इसको मनवाते हैं तो यह ठीक नहीं है।

पहले कहा गया था कि १९०० पंचायतें हैं उनके कारण गवर्नमेंट को कठिनाइयां पड़ती हैं; इसलिये ऐसा संशोधन लाकर वैधानिक कठिनाइयां पूर्ण करना चाहते हैं। यह ठीक नहीं, उनका दुबारा चुनाव होना चाहिये। इसलिये मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो कानून पहली धारा ९३ में बना हुआ है उस पर जो संशोधन लाया जा रहा है उसे मैं सही नहीं समझता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा सा और कह दूं। इस संशोधन के अनुसार हम गवर्नमेंट को यह अधिकार देते हैं कि पहले जो कुछ किया गया है वही बना रहे। इसका मैं भी अनुभवी हूँ। गोविंदपुरा में १२०० की आबादी है और जाजोद में १५०० की आबादी है। वहां जाजोद में ३ और गोविन्दपुरा में ५ दिये हैं। वहां किस जाति की जनसंख्या ज्यादा है, इस चर्चा में मैं नहीं पड़ना चाहता; यह पहले कहा जा चुका है और सब को यह स्पष्ट है। जाजोद वालों ने सतत प्रयत्न किये, उनके डेपुटेशन आये और यहां तक कि परेशान हो कर शपथ ग्रहण तक नहीं की, पर किसी के कान तक जूं तक न रेंगी। वहां की जनता हाई कोर्ट में जाये तो अब उस हाई कोर्ट का भी कोई प्रभाव नहीं। उसके फैसले को इस तरह रद्द किया जा सकता है तो अब हमें सर्वोच्च न्याय कहां मिल सकता है।

इसलिये मैं कहता हूँ कि यह धारा मूल कानून में है वैसी ही रहनी चाहिये।

[भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ]

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, धारा ९३ के ऊपर जो संशोधन पेश किया गया है उसके बारे में मैं भी आपके जरिये सदन को और खास करके मन्त्री महोदय को दो शब्द निवेदन करूं। मैं मानता हूँ कि इस धारा पर काफी वाद-विवाद हो चुका है फिर भी कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर उपाध्यक्षजी, सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक पड़ गया है। मैं समझता हूँ कि इस धारा में संशोधन ला कर के और खास तौर से ये शब्द रख कर :

"मूल एक्ट की धारा ९३ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नांकित नई उपधाराएं निर्दिष्ट की जावेंगी तथा सदैव निविष्ट की हुई समझी जावेंगी।"

ये शब्द लगाने का मतलब यह है कि इन धाराओं को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे तो १९०० पंचायतों का दुबारा चुनाव कराना पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जैसा चुनाव करना चाहते हैं वैसा नहीं हो सकेगा और दुबारा चुनावों में रुपया भी काफी खर्च होगा।

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय को अर्ज करूंगा कि यदि आपके काल में ये चुनाव हुए हो तो हम इस चीज का विरोध नहीं करते, परन्तु ये काम उस समय हुए हैं जिस समय तहसीलदारों ने गांवों में जा जा कर ओपनली कहा कि चुनाव आज नहीं होगा, १५-२० दिन बाद होगा। चुनाव के लिये नियुक्त तारीख के दिन तहसीलदारों ने तारीखें बदल दी हैं क्योंकि वे पार्टी विशेष का पक्ष लेना चाहते थे और उन दिनों में उन्होंने देखा कि उस तारीख को चुनाव करने से पार्टी विशेष को कम मत मिलेंगे, इसलिये गांव वालों को परेशान किया और चुनाव के लिये नियुक्त की हुई तारीखों को उसी रोज बदल दिया गया जिस तारीख को कि चुनाव होने को थे। तो इस प्रकार के अन्यायपूर्ण तरीकों से ये १६०० पंचायतें बनाई गई हैं। तो इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष, बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आप इस धारा को बदलिये, आप अपने हाथ में पॉवर्स लेंगे तभी दुनियां की सहूलियत दूर हो सकती है।

(हंसी)

पर आप देखिये कि हम जो कर रहे हैं उस जमाने का कर रहे हैं, वह एक ऐसा युग था जिसमें धांधलियों को प्रोत्साहन का क्या कहूँ वह तो धांधलियों का ही युग था। राजस्थान में जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इस प्रकार से हुए हैं कि राजस्थान की जनता के अन्दर, ग्रामीण जनता के अन्दर इन चुनावों ने एक प्रकार की खाई पैदा कर दी है, जिन गांवों में लोग पार्टी बाजी में नहीं समझते थे और भाई भाई की तरह रहते थे वे ही भाई-भाई इन चुनावों से आपस में बैरी हो गये हैं।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे वातावरण में चुनाव हुए हैं उनको दुबारा करा दें, और राजस्थान सरकार का १० लाख रुपया भी अगर इन दुबारा चुनावों में खर्च हो तो भी मैं इसे ज्यादा नहीं समझता। कुछ दिनों पूर्व जयपुर में उपचुनाव हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार का काफी पैसा लगा। राजस्थान सरकार चुनावों के खर्च में मितव्ययिता का तरीका अपनाती तो जिनको राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, उसको २ साल के लिये स्थगित करा देती पर हमारे सामने यह नजीर है कि चुनावों के बारे में कोई अंकुश नहीं है। ऐसी सूरत में हम वाजिब समझते हैं कि १६०० पंचायतों के चुनाव धांधलीबाजी से हुये हैं इसलिये वहां की जनता को जनतन्त्र प्रणाली से चुनाव करने का मौका दिया जाय। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में निवेदन करूंगा ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है...

श्री उपाध्यक्ष—दलीलें वही चल रही हैं।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—मैं जो दे रहा हूँ वे बिलकुल नई दलीलें हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जो कुछ दलीलें दे रहा हूँ वे दूसरी हैं और दूसरी बातें कहना चाहता हूँ।

मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारी सारी बातों को सुनने के बावजूद भी सरकार इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहती है तो मैं इस बारे में एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा और यह कहूँगा कि उसको तो कम से कम सरकार मंजूर कर ले। कम से कम वहां की पंचों की ओर ध्यान दीजिये जिन्होंने इसलिये इतना पैसा खर्च किया और श्रम किया। वकील को एंगेज किया, हाई कोर्ट में गये और हम लोगों ने और हमारी सरकार ने जो गल्तियें कीं उनको सुधारने की कोशिश की। बर की पंचायत के लिये जो गल्तियें हुई हैं उनका दुबारा चुनाव कराना चाहिये। अगर हमारी सरकार यह कराने को तैयार नहीं है तो उनका जो खर्च लगा है वह तो कम से कम सरकार उनको अवश्य देगी। अगर सरकार इस पर राजी नहीं होती तो यह सरकार केवल धांधली करना चाहती है। मेरे एक मित्र ने यह कहा कि जब सरकार इस प्रकार के कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर हाई कोर्ट के फैसले को बदल देती है तो हाई कोर्ट की फिर क्या जरूरत है? अगर आप और हम इसको नहीं मानेंगे तो मैं यह कहूँगा कि उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा? जिस रोज बर की पंचायत जीती होगी उस रोज उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी? उन्होंने यह सोचा होगा कि अब हमारे यहां दुबारा चुनाव होंगे। अब जब हम यह कानून लगा देंगे तो आपके उस न्याय को वे क्या प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार दो चार छोटी छोटी बातें हैं उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, यह तो हमारे सभी मित्र करीब करीब महसूस करते हैं कि पंचायतों के चुनाव में हम कहते हैं कि १४ आना गड़बड़ी हुई और धांधली हुई; मगर सरकार के हिसाब से एक पैसा धांधली हुई। अगर वे इस बात को मानते हैं कि एक पैसा धान्धली हुई है तो इस प्रकार की धांधली करने वाले जो भी हों उनको सजा देनी चाहिये। हमारे यहां की सरकार के लिये यह ऐसी बात हो गई है कि जो गल्तियें करते हैं उनको गल्तियें करने पर भी हम सजा न दें। उसका नतीजा यह होता है कि हमारे ओफिसरों के दिमाग ऊंचे हो जाते हैं और वे कहते हैं कि दो साल के कार्यकाल में फलां फलां मिनिस्टरों के हुक्म से मनमाने ढंग से काम किया। क्या हुआ, मुझे कहीं बदल दिया। मुझे इससे घाटा तो होगा नहीं। जब इस प्रकार की बात है तो सरकार को सोचना चाहिये कि ऐसा नहीं होना चाहिये। पिछले सेशन में मैंने यह कहा था कि सरकार ने ऐसी धंधलियें की हैं जिस पर अगर कोई इन्क्वायरी कमिशन बिठाया जावे तो मैं यह कहूँगा कि इस युग के अन्दर ऐसी धांधलियें शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इस सूरत में मैं इस अमेन्डमेंट को पेश करते समय यह भी निवेदन करूंगा कि जिन ओफिसरों ने ऐसी बातें की है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन अगर मिलता तो मैं कुछ मानता कि सरकार जिसकी गलती

[श्री मानसिंह महार]

है उनको सजा देगो । माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो न्याय की विडंबना है। हमारे यहां के उच्च न्यायधीश जो फैसला दें उसके होते ही हम सदन में बैठ कर यह कह दें कि हम न्यायधीसों के आदेश को मानते हुए इसमें इस तरह से हेर-फेर करें । मैंने तीन दिन तक बहस सुनी उससे यह महसूस होता है कि उनको सबसे बडा डर यह है कि १९०० पंचायतों का चुनाव वापिस करना होगा । मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके इसको जरूर करना चाहिये और हमने जो गल्ती की है उसको जरूर मिटाना चाहिये । मैं एक बार फिर जोरदार शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर इस पर भी आप सहमत न हों तो बर की पंचायत का दुबारा चुनाव करा कर बर को न्याय देंगे तो कोई बात है । अगर आप इस बात को भी छोड देंगे और बर में दुबारा चुनाव नहीं किये गये तो वाकई राजस्थान में जो हाई कोर्ट ने न्याय किया है, सरकार इस प्रकार की उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो हाई कोर्ट में जाने और उससे फैसला कराने का मकसद बिल्कुल बेकार होगा । क्या फायदा कि लोग फिर हाई कोर्ट में जाकर पैसा खर्च करें । अगर हाई कोर्ट में जाने से उसके माफिक फैसला हो जाता है और आप उस आदमी को न्याय नहीं देते हैं तो वह यह उम्मीद करता है कि लोगों से लिये हाई कोर्ट में जाना महेज मूर्खता होगी । इसलिये मैं इस बारे में जोर देकर पर्टिकुलर पंचायत के बारे में यह कहूँगा कि आप उसको आश्वासन दे दीजिये कि हम दुबारा चुनाव कराने के लिये तैयार हैं । हम लोग कह सकते हैं कि आम बात थी उसको हटा दी । बर वालों की शिकायत थी वहां पर सही तरीके से काम किया है । इस प्रकार का आश्वासन माननीय उपाध्यक्ष, सरकार की तरफ से आता है तो यह बात वाजिब है वरना यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, तो यह बहुत ही अन्याय होगा ।

श्री शंभूसिंह—(बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष—कोई कुछ नई बात है ।

श्री शंभूसिंह—नई बात कहनी है ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में इस पर जो रोष प्रकट किया जा रहा है । इस पर माननीय मंत्रीजी का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और इस बात के लिये बार बार सरकार को चैतावनी दी इस सदन के द्वारा कि हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसको मानें और खास कर जब कि हम इन नियमों में परिवर्तन कर चुके हैं तो कम से कम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो न दें । ये शब्द तो कम से कम हटा दिये जावें । मेरा प्रश्न यह है कि बर का चुनाव वापिस करना होगा संभव है दूसरों का भी वापिस करना पडे । मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई गल्ती करे तो उसको उसका परिणाम अगर भुगताना पड़े तो कोई अनुचित बात नहीं है । यह तो समझदारी उस वक्त करने की थी जबकि पहले के आदि नियम को प्रतिकूल मान कर लिया गया । उस वक्त यह सोच लिया जाता कि जो बातें हम करने जा रहे हैं वह नियम विपरीत है तो मेरी समझ में यह आता है कि इस

[श्री शम्भूसिंह]

अमेन्डमेन्ट को लाने की जरूरत पेश नहीं आती और न इस प्रकार की यहां पर कोई चर्चा होती। वह खास तौर से हाई कोर्ट के निर्णय का विषय बन गया है। मैं आपका ध्यान इन शब्दों पर आकर्षित करना चाहता हूँ :

"Not-with-standing any defect or lack of form. Procedure. Jurisdiction or power and not-with-standing anything contained in any Judgment. decree or order"

खास तौर से इस हाईकोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर की तरफ ईशारा है। भारतवर्ष में इस प्रजातन्त्र के युग में जो कुछ अच्छी बात है वह यह कि सिद्धान्त के रूप में हमारे यहां हाईकोर्ट का न्यायालय है। उनके ऑर्डर और डिक्री की तरफ इशारा करना वाजिब नहीं। जब हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे चुके हैं तो इसके ऑर्डर और डिक्री की तरफ क्या बार बार ईशारा करना। हमने भूलें की और पुराने अधिनियम के अनुसार काम किया जो नहीं होना चाहिए और अब भूल को सुधारने के लिए हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम करने लगें तो मैं यह कहूँगा कि यह दूसरी भूल होगी।

इसके अलावा स्टेटमेंन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा हुआ है कि "This decision affected adversely the progress so far made in the direction of the development of Local SelfGovernment according to the Scheme chalked ont by the Government."

तो गवर्नमेंट स्कीम पहले ही चाक आउट कर लेती है और उसको कानून द्वारा वैधानिक रूप दिलाना चाहती है। गवर्नमेंट का यह काम नहीं है कि स्कीम पहले ही चाक आउट कर ले कि जो कानून के खिलाफ हो और फिर उसको कानून का रूप दे।

(घंटी)

दो मिनिट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—एक मिनिट।

रावत श्री शंभूसिंह—और उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिलावे।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी कम से कम इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो अवश्य ही मुक्त कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष।

श्री हिम्मतसिंह—(अटरू) बहुत जल्दी की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आप बोलना चाहें तो बोलिये ।

श्री हिम्मतसिंह(अटरू)--बोलने की तो गुन्जाइश है, हम चाहते हैं कि आप मान लें। हठ मत करिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैं भी यही बात कहूँ तो फिर यह कहां एप्लाई होती है ।

(विराम)

माननीय उपाध्यक्षजी, दफा ९३ में जो संशोधन आये हैं और उस सम्बन्ध में जो बहस हुई है वह भी उसी तरह की है जिस तरह जनरल डिबेट हुई और दफा ८६ पर हुई । बार बार दोहराया गया और कहा गया कि हाई कोर्ट के फैसले का अपमान किया गया है । मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूं कि जो शिकायतें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में, पंचायतों के वार्ड बनाने के सम्बन्ध में या एरिया बनाने के सम्बन्ध में बतायी गई । उनका हाईकोर्ट के फैसले से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ये बातें हाई कोर्ट के फैसले में लायी गई हैं और नहीं हाई कोर्ट ने उन पर कोई फैसला किया है । यदि इस प्रकार का कोई हाई कोर्ट का फैसला होता कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि मैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए इस तरह का अमेन्डमेन्ट यहां पेश नहीं करता और पेश होता तो उसके पक्ष में राय किसी को देने के लिए निवेदन करता । लेकिन जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि आपके ध्यान में जो शिकायतें हैं वे इस तरह की हैं कि जो पंचायत क्षेत्र कायम हुए हैं उनमें गांव गलत एड हो गये हैं, वार्ड गलत बन गये हैं, चुनावों में धांधली की गई, तहसीलदार ने गलती की और इस प्रकार की बातें हैं जिनका हाई कोर्ट के फैसले से कतई सम्बन्ध नहीं है । हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक बात आयी कि जो एरिया है, गवर्नमेन्ट को दफा ३ के अनुसार हक है कि नया क्षेत्र माने, लेकिन जो पुराने हैं उनको रिकोन्स्टिट्यु करे । उस रिकोन्स्टिट्युट शब्द के उन्होंने रिइलेक्शन मान लिया और हाई कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि यह नये एरीया फिक्स करने के लिये है । ऐसे पॉवर्स गवर्नमेन्ट के पास नहीं थे । गवर्नमेंट के पास पॉवर्स होना दूसरी बात है और उनका मिसयूज़ होना दूसरी बात है । मिसयूज़ होने की बात हाई कोर्ट के सामने नहीं थी और उसके मुतल्लिक बात होती तो मैं उसको नहीं लाता और कोई अमेन्डमेन्ट पेश नहीं करता । लेकिन आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता नहीं दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है । यह सिर्फ कानून को दुरुस्त करने की बात है और १९०० पंचायतें बन गई उनको मान्यता देने की बात है ।

जो चुनावों की गडबिड़यां हुई है, उनके लिए निवेदन करूं कि अगर चुनाव में गडबडी हुई है तो उसके लिए इलेक्शन पिटिशन दायर होती है, उसके लिए हाई कोर्ट में रिट दायर को जा सकती है, जैसे बैराठ की पंचायत के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोपर नोटिस नहीं था, इलेक्शन इनवेलिड हो गया और उसको फिर दुबारा कराया गया । अगर कहीं इलेक्शन पिटिशन हो, कहीं गड़बड़ी हो वार्ड बनाने में, क्षेत्र के मामले में तो उसके लिए आप बतावें लेकिन यह शंका नहीं की जानी चाहिए कि इन सब कार्यवाहीयों को प्रोटेक्शन देने के लिए यह बात की जा रही है ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उसके बाद नागोर पंचायत के सम्बन्ध में यह बात कही गई कि तहसीलदार ने गंडबड़ी की। मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरे नोटिस में आज ही यह बात आयी है, मैं उचित कार्यवाही करूंगा। मैं अर्ज करूंगा कि एक बार जब इलेक्शन हो जाता है गलत या सही, मौके पर जाकर अधिकारी डिक्लेयर कर देता है कि हमारे वोट लेने के मुताबिक, चुनाव के मुताबिक फलां फलां इलेक्ट हुये हैं, तो उनके इलेक्शन को रद्द करने के लिए गवर्नमेन्ट के पास कोई पॉवर्स नहीं हैं...

श्री भैरूसिंह—चाहे जबरदस्ती प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स से लिखा लिया हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता(अपना भाषण जारी रखते हुए)—आप देखिये कि यदि चुनाव में कहीं गड़बड़ी होती है तो इलेक्शन पिटिशन दायर की जाती है। सरकार के पास ये पावर्स नहीं हैं कि इलेक्टेड आदमी के इलेक्शन को खत्म कर दो। न तो मैं ऐसे पॉवर्स चाहूँगा और न मैं हाउस में ही मूव करूंगा। ऐसे पॉवर्स कहीं हैं भी नहीं। इसलिए यह कहना कि चुनावों के सम्बन्ध में फलां फलां जगह गडबडी हुई है उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट के पास कोई पावर्स नहीं है, इलेक्शन पिटिशन की जा सकती है। जो चीजें की जा रही हैं उनको अन्याय संगत बताया अगर यह भी कहा गया कि जहां की शिकायतें नहीं हैं वहां भी दुबारा चुनाव कराये जावें। मैं समझता हूँ कि यह न्याय संगत नहीं है। अतः यह अमेंडेन्मेन्ट बिल प्रजातंत्र के उसूलों के अनुसार सदन के सभी सदस्यों को मान लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ पर जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(वीराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(मतदान के पश्चात्)

श्री भैरूसिंह—ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य—ayes haves it, sir.

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्ष जीता। क्लॉज़ २ संशोधित रूप में विधेयक के अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.76

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४, विधेयक में अंक रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ५

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(क्लॉज़ १ प्रिएम्बल तथा टाइटल)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रिएम्बल और टाइटल विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त:—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि यह बिल पारित किया जाय ।

श्री भैरूसिंह—ओान ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर।

श्री कु ० जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी,

("आपका पोइन्ट ऑफ ओर्डर है" ऐसी आवाज)

श्री भैंरू सिंह (वि० संख्या १६)—ओान ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन विधेयक को कुछ, संशोधन विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ हमने स्वीकार किया है उसका तीसरा वाचन अर्थात् उसके पास करने का प्रस्ताव रूल्स के अन्तर्गत आज नहीं लिया जा सकता इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि आज इसे न लिया जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह-उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा होता है कि हमारी सरकार अपनी जिद्द पर तुल गई है। वह इसे बहुमत के बल पर पास करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैंने व्हिप इश्यू न करने का जो सुझाव दिया वह भी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जहां तक विपक्ष के लोगों का सम्बन्ध है वह इस पाप में सम्मिलित नहीं होना चाहते। हम इस स्थिति में इस पुन्य और पाप में शामिल नहीं होना चाहते इसलिये हम लोबी में चले जाते हैं फिर आप अपोजिशन की तरफ से निश्चिन्त होकर जो कुछ भी करना चाहें खुले दिल से करिये।

एक माननीय सदस्य-यह तरकीब खूब अपनायी गई।

श्री भैंरू सिंह—रूल्स तो वही लागू होंगे जो इस किताब में हैं।

(विरोधी पक्ष के सदस्यों का सदन से बाहर चले जाना)

श्री उपाध्यक्ष-Walk out in protest.

(विराम)

मैं इसे आज ही लेने की इजाजत देता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल दिनांक ६।१२।५५ को ८.४५ बजे फिर से सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी।

विधान सभा की कार्यवाही १२.४४ मध्यान्ह पर, ६ दिसम्बर, १९५५ के ८.४५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ५ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की संबंधित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

६६. (५०/सी. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धू, एम. एल. ए. डिवीजन नं० ४९—
क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर इन्टरमिडियेट कॉलेज के डिग्रीकालेज होने के बाद कितने स्टाफ की बढ़ोत्तरी हुई ?

(ख) क्या सरकार मौजूदा स्टाफ को डिग्री कॉलेज के लिए काफी समझती है ?

उत्तर

(क) डिग्री कॉलेज होने के बाद स्टाफ को जो बढ़ोत्तरी हुई एवं जिन अधिकारियों को अपग्रेड किया गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यह स्टाफ कॉलेज के लिए पर्याप्त है ।

तारांकित प्रश्न ५०।सी. एम. से संबंधित के भाग की सूची सदन की मेज के लिए ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू एम. एल. ए.

१. फिजीकल इन्सट्रक्टर	१	ग्रेड १५०।१०।२५०
२. लाइब्रेरियन	१	१००।५।१५०।ई. बी.।१०।२००
३. जूनियर लिपिक	१	५०।४।६०।५।१२०
४. बुक लिफ्टर	१	२५।१।३०
५. चपरासी	२	२५।१।३०

प्रश्न

६८. (५१।सी. एम.) श्री गुरुदयालसिं सन्धू, एम. एल. ए. डिवीजन नं० ४९—
क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) करनपुरा हाई स्कूल में कितने कमरे हैं और हर कमरा कितना लम्बा चौड़ा है तथा उसमें कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं व इस समय उसमें कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार इन कमरों को सुधारने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) करनपुर हाई स्कूल में कुल १७ कमरे हैं। हर कमरे की लम्बाई, चौड़ाइ व जितने छात्र उनमें बैठ सकते हैं इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां। शीघ्र ही साइन्स ब्लॉक बनने वाला है जिससे कुछ कमरे खाली मिल जावेंगे। स्कूल को दो शिफ्टों में चलाया जाना निश्चित किया गया है, जिससे कमरों की कमी नहीं रहेगीं।

प्रश्न

७८. (६१ सी. ए.) श्री संग्रामसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नं० १३४—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) तहसील देवगढ़ में तहसील के लिए जो नये मकान बनाये जा रहे हैं उसके लिए कितने रुपयों की मंजूरी हुई है ?

(ख) ठेका किसको दिया गया है व अब तक कितनी रकम खर्च हुई है ?

(ग) क्या थाने की बिल्डिंग बन चुकी है ? यदि हां, तो उसमें कितनी रकम खर्च हुई और मंजूरी कितने रुपयों की थी ?

उत्तर

(क) ७०००० रु०

(ख) इस कार्य का ठेका मन्डोर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी को, दिया गया है। अब तक इस कार्य पर २०४४-८-० खर्च हुआ है।

(ग) थाने का भवन बन चुकने में थोड़ा कार्य बाकी रहता है। इस कार्य में रु० ५२२४६-१० व्यय हो चुका है। इस कार्य के लिए रुपया ८०,००० की धनराशि स्वीकृत हुई है। यह कार्य ३१ दिसम्बर, १९५५ तक समाप्त हो जायगा।

प्रश्न

८०. (६२ सी. एम.) श्री संग्रामसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३४—क्या निर्माणमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) देवगढ़ से भीलवाड़ा जानेवाली सड़क की मंजूरी कितने रुपयों की हुई है !

(ख) काम कितना होगया है और कितना बाकी है ?

(ग) इसका ठेका किसके नाम हुआ और काम कब जारी किया गया ?

Page No.80

उत्तर

(क) ३२००००) रु०

(ख) यह कार्य २६११११२ रु० के लगभग का हो गया है बाकी कार्य होना बाकी है।

(ग)

नाम ठेकेदार	दिनांक प्रारम्भ किया
१. श्री मुखी गोवर्धनदास	ता० १३. १०. ५३
२. श्री दिलीपसिंह जीतसिंह	ता० ८. ६. ५४
३. श्री एम० आर बटरा	ता० १०. १०. ५३
४. श्री ओम् कार्यालय	ता० १५. ६. ५५